

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016—आषाढ़ 10, शक 1938

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 जून 2016

क्र. ई-5-938-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर आग्नेय, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 26 मई से 1 जून 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर आग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर आग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2016

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 29 जून से 2 जुलाई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे., कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए)111-93-ब-2-दो.—श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 23 जून 2016 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री धर्मेन्द्र सिंह छावई, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ-1 (ए)192-99-ब-2-दो.—श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 17 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार लद्दाख जाने की अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी।

(2) अपरिहार्य कारणों से उक्त सुविधा का लाभ न लेने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2016 को जारी आदेश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ-1 (ए)400-88-ब-2-दो.—श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 जून से 15 जुलाई 2016 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से., की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर एण्ड डी पुलिस मैनुअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए)13-2000-ब-2-दो.—समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 को निरस्त करते हुए श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज को दिनांक 1 जून से 15 जुलाई 2016 तक कुल, पैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ग्वालियर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 213-96-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2016 को निरस्त करते हुए श्री जयदीप प्रसाद,

भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 23 से 28 मई 2016 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20, 21 एवं 29 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ (जम्मू-कश्मीर) जाने की अनुमति तथा दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जयदीप प्रसाद	स्वयं
2.	श्रीमती भारती प्रसाद	पत्नी
3.	यशदीप	पुत्र
4.	कु. अदिति प्रिया प्रसाद	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)27-94-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आलोक रंजन, भा.पु.से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11-12 एवं 26 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. एस. प्रजापति, रा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु. मु., भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भा.पु.से को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए)27-94-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2016 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश 18-19 जून 2016 एवं 3 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 76-2011-ब-2-दो.—श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से., को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश दिनांक 9 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 20 से 29 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18-19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अपने गृह नगर पौढी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की अवकाश यात्रा की अनुमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
(1)	(2)	(3)
1.	श्री प्रेमसिंह बिष्ट	स्वयं
2.	श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट	पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 107-08-ब-2-दो.—श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2016 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 6 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के ब्लाक वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लेह लद्दाख की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति एवं उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के लिये 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. श्री जे. एस. कुशवाह	—	स्वयं
2. श्रीमती अनिता सिंह	—	पत्नी
3. अभिजीत सिंह	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, का कार्य श्री के. के. नवीन, रापुसे, उप सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-79-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन (Mid Career Training Programme Phase-V, 2016) मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस-5, 2016 के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक, हैदराबाद में तथा दिनांक 19 से 25 जून 2016 तक, यू.एस.ए. में निम्नांकित भापुसे अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना है:—

1. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश मुख्यालय, भोपाल.
---

2. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल, मुख्यालय, भोपाल.
3. श्री विपिन कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर.
4. श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जेएनपीए, सागर.

(2) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त भापुसे, अधिकारियों को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India Leave) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है।

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर संबंधित भापुसे, अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उसी पद एवं स्थान पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में संबंधित भापुसे अधिकारियों को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि संबंधित भापुसे, अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

फा. क्र. 1 अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2015 के अनुक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यकाल में 24 जून 2016 से 31 जुलाई 2016 तक पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन वृद्धि करता है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

अतिरिक्त महाधिवक्ता पद हेतु

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक)2251.—(प्रतिक्षा सूची मेरिट क्र. 01), राज्य शासन, सुश्री नूरून निशा अंसारी पिता श्री सज्जाद हुसैन अंसारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है। उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1988 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

फा. क्र. 1968-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को निम्न शर्तों पर पन्ना राजस्व जिले के तहसीलों के लिए शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में एक वर्ष की अवधि के लिए शामिल करता है यह पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये तथा सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है।

क्र.	नाम	जन्मतिथि	पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेश निगम	1-8-1965	पैनल लायर राजस्व जिला पन्ना.
2	श्री उमेश पटेल	15-10-1971	पैनल लायर तहसील पन्ना.
3	श्री अशोक कुमार शर्मा.	1-7-1962	पैनल लायर तहसील गुनौर जिला पन्ना.
4	श्री चन्द्रभान पटेल	1-9-76	पैनल लायर तहसील अमानगंज जिला पन्ना.
5	श्री राजेश कुमार गौतम.	1-9-1964	पैनल लायर तहसील पवई जिला पन्ना.
6	श्री पंकज श्रीवास्तव.	2-7-1957	पैनल लायर तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना.

शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में ही न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी का कार्य करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. वैद्य, सचिव.

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016

क्र. एफ-05-03-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्वारा, नवगठित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पृथक् भूमि/भवन आवंटन नियम जारी होने तक वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथाआवश्यक यथास्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-6-8-2016-अ-तिहत्तर.—मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 3 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा. अशासकीय सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा.”

No.F-6-8-2016-A LXXIII.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2006 namely:—

### AMENDMENT

In the the Rules,—

In rule 3, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) A member, other than the Chairperson and Non-official member, shall hold office during the pleasure of the authority nominating him. Non-official member shall hold the office for a period not exceeding two years from the date of his appointment.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री प्रदीप उपाध्याय, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के स्थान पर श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय को मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 1033-1098-2016-बी-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, इन्दौर संभाग, इन्दौर के लिये आगामी आदेश तक नियुक्त करता है:—

### सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	इन्दौर संभाग, इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-45/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह प्रस्तावित संरक्षित वनखंड छीरखेडा दक्षिण, उत्तर अक्षांश N 23° 46' 24" से N 23° 46' 45" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78° 21' 59.8" से E 78° 22' 24.2" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

### अनुसूची

जिला- सागर

वनमंडल का नाम -दक्षिण सागर (सामान्य)

तहसील - राहतगढ़

वन परिक्षेत्र - राहतगढ़

अ. क्र	वनखंड की भूमि का विवरण					वनखंड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	छीरखेडा दक्षिण	छीरखेडा	छोटा घास, चरोखर (शासकीय भूमि)	3/2	4.320	<p><u>उत्तर</u> - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड पी.एफ. 571 के मुनारा क्रमांक 21 से 17 तक वन सीमा</p> <p><u>पूर्व</u> - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड पी. एफ. 571 के मुनारा क्र. 17 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा</p> <p><u>दक्षिण</u> - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 08 से आर.एफ. 576 के मुनारा क्रमांक 07 तक कृत्रिम वन सीमा</p> <p><u>पश्चिम</u> - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड आर.एफ. 576 के मुनारा क्र. 07 से पी.एफ. 571 के मुनारा क्र. 21 तक वन सीमा</p>
				योग :-	4.320	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPB097/2007-BHO/2817 दिनांक 18.11.2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.इकाई सागर जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना प्रधानमंत्री ग्रा.स.योजना में खैजरामाफी से बहादुरपुर मार्ग में प्रभावित कुल 04.320 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि 04.320 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक 143अ/19(4)-5 दिनांक 12.09.2006 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

**(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार राहतगढ द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसराबार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-**

- (अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।  
 (ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.**

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-45-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-45-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.**

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No. F-25-45-2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time. This Proposed Protected Forest Block Chheer Khera lies between North Latitude N 23<sup>o</sup> 46' 24" to N 23<sup>o</sup> 46' 45" North Latitude and East Longitude E 78<sup>o</sup> 21' 59.8" to E 78<sup>o</sup> 22' 24.2" East Longitude.



**SCHEDULE**

District- Sagar  
Forest Division-South Sagar (territorial)

Tehsil- Rahatgarh  
Range- Rahatgarh

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in He.	
1	Chheer Khera South	Chheer Khera	Chhota Ghas Charokhar, Govt. land	3/2	04.320	<p><b>North</b> – Proposed Protected Forest Block Com. No. PF 571 of Pillar No. 21 to 17 Forest Boundray</p> <p><b>East</b> – Proposed Protected Forest Block Com. No. PF 571 of Pillar No.17 to 08 Artificial Forest Boundray</p> <p><b>South</b>— Proposed Protected Forest Block Pillar No.8 to RF 576 of Pillar No. 7 Artificial Forest Boundray</p> <p><b>West</b>- Proposed Protected Forest Block Com. No. RF 576 Pillar No. 07 To 21 of Com. No. PF 571 Forest Boundray</p>
				<b>TOTAL</b>	<b>4.320</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt. of India's order no. F-6-mpb097/2007-BHO/2817 Bhopal dated 18-11-2009 and in lieu of 4.320 hectare of affected forest land under the sanctioned project of MPGSY Khejramafi To Bahadurpur Road of GM MPRRDAPU Sagar M.P. the above mentioned non forest land of 04.320 Hectare transferred or muted in favour of mp Government, Forest Department by Collector Sagar order no. 143A 19(4)-5 Dt. 12-09-2006 for the purpose of compensatory afforestation.

**(B)** The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Rahatgarh are as under.

- (a) **Rights of individuals :-** Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights
- (b) **Rights of communities:-** Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-48/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड से N 24° 05' 20.0" से N 24° 05' 35.0" उत्तर अक्षांश तथा E 78° 57' 18.4" से E 78° 57' 58.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची**

जिला - सागर

तहसील - बण्डा

वन मंडल - उत्तर सागर (सा.)

वन परिक्षेत्र - बण्डा

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	हरद्वानी	हरद्वानी	छोटा घांस	105, 107/1, 107/2 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354	2.84 14.67 2.00 1.11 0.41 2.26 0.42 0.11 0.80 2.40 7.10 0.45 0.48 3.23	<p><b>उत्तर :-</b> प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 12 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p><b>पूर्व :-</b> मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p><b>दक्षिण :-</b> प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 30 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p><b>पश्चिम :-</b> प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p>
			<b>Total:-</b>		<b>38.28</b>	

**अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी.105/2006-बी.एच.ओ./213 दिनांक 30.01.2008, 6-एम.पी.सी.037/2007-बी.एच.ओ./2701 दिनांक 25.02.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत परियोजना क्वायला, मंजला जलाशय में प्रभावित 22.656 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 38.28 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 38.28 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1348/री.क्ले./06 दिनांक 14.02.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1348/री.क्ले/06 दिनांक 14.02.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-48-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-48-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No. F-25-48/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act., 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 05' 20.0" to N 24° 05' 35.0" North Latitude and E 78° 57' 18.4" to E 78° 57' 58.5" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Sagar  
Forest Division - North Sagar (T)

Tahsil - Banda  
Forest Range - Banda

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Harduawani	Harduawani	Chhota Ghas	105, 107/1, 107/2 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354	2.84 14.67 2.00 1.11 0.41 2.26 0.42 0.11 0.80 2.40 7.10 0.45 0.48 3.23	<b>North :-</b> Proposed Forest Block Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to 12. <b>East :-</b> Artificial Forest Boundary Pillar No. 12 to 19. <b>South :-</b> Proposed Forest Block Artificial Forest Boundary Pillar No. 19 to 30. <b>West :-</b> Proposed Forest Block Artificial Forest Boundary Pillar No. 30 to 01.
			<b>Total:-</b>		<b>38.28</b>	

**Reason for Publication of Notification:-**

1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order . No. 6-MPB105/2006-BHO/213 Dated 30-01-2008, 6-MPC037/2007-BHO/2701 Dated 25-02-2011 and in lieu of 22.656 hectare of affected forest land order the sanctioned project of Quayla, Manjhla Tank of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 38.28 hectare transferred of muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No 1348/R.Coll/06 Dated 14-02-2006 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1348/R.Coll/06 Dated 14-02-2006 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals :- There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities :- There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-50/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-25° 57' 23" से N-25° 57' 18" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 51' 17" से E-77° 51' 22" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - घाटीगांव  
वन परिक्षेत्र - घाटीगांव उत्तर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	कैमारी (ब)	कैमारी	भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि	246 मिन-2	1.000	<p>उत्तर:- संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 20 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>दक्षिण:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 21 तक की कृत्रिम वन सीमा।</p> <p>पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रं. 21 से 20 तक की वन सीमा।</p>
			योग		1.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

स्वास्तिक एज्यूकेशन वेलफेयर सोसायटी होम्योपैथिक कॉलेज के नवीन भवन  
(सर्वे क्रं 246 मिन-2 रकवा 1.000 हे०) :-

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी.010 /2004-बी0एच0ओ0/215 दिनांक 19-01-2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वास्तिक एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना होम्योपैथिक कॉलेज भवन निर्माण में प्रभावित 1.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15-09-2008 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-50-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-50-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-50/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25° 57' 23" to N-25° 57' 18" North Latitude and E-77° 51' 17" to E-77° 51' 22" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Ghatigaon  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Ghatigaon North

S.No	Name of Proposed Block	Detail fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemari (B)	Kemari	Privat self land	246 min-2	1.000	North- Compt. no. P-291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 20 to Artificial Forest boundary pillar number 1. East - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 2. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to Compt. no. P-291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 21. West -Compt. no. P-291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 21 to 20 forest boundary line.
Grand Total					1.000	

**Reason for publication of Notification :-**

**Swastik Education Welfere Socaty**  
(surevey No. 246 min-2 area 1.000 Ha.)

- 1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB010/2004-BHO/215 dated 19-1-2009 and in lieu of 1.000 hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Homyopaiithik College Building of Swastik Education Welfare Society Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 1.000 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Registry date 15-9-2008 for the purpose of compensatory afforestation.
- 2- Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

- (1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.  
(2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ 25-52/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-25° 56' 42.3" से N-25° 56' 40.0" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 54' 0" से E-77° 54' 3" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - घाटीगांव  
वन परिक्षेत्र - घाटीगांव उत्तर

अनु. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	आरोन (अ)	आरोन	शासकीय राजस्व भूमि	2035/3/2	0.720	उत्तर:- प्रस्तावित वनखण्ड आरोन "ब" के मुनारा क्रं. 4 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 3 से 1 तक की वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी-306 की पश्चिमी वन सीमा। दक्षिण:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से वनखण्ड आरोन "ब" के मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					0.720	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

असीम वैश्य एण्ड मुखर्जी पेट्रोल पम्प एवं एलाइड सर्विस (सर्वे क्रं 0 2035/3/2 रकवा 0.720 हे०) :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी. 115/2008-बी. एच.ओ./2945 दिनांक 25-04-2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार असीम वैश्य एण्ड मुखर्जी जयेंद्रगंज ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना पेट्रोल पम्प एवं एलाइड सर्विस में प्रभावित 0.720 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.720 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.720 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 02-12-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।



## 2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-52-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-52-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-52/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25° 56' 42.3" to N-25° 56' 40.0" North Latitude and E-77° 54' 0" to E-77° 54' 3" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Ghatigaon  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Ghatigaon North

S. No	Name of Proposed Block	Details fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aron (A)	Aron	Govt. revenue land	2035/3/2	0.720	<b>North</b> - Artificial proposed Forest Block Aron "B" boundary from pillar Number 4 to 3 <b>East</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 1 PF Block Patai Compt. no. P-306 western Forest boundary. <b>South</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 2 <b>West</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to forest block Aron "B" pillar Number 4
Grand Total					0.720	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

**Asim veshya & Mukharji Petrol Pump & Elaid sarvies**  
(survey No. 2035/3/2 area 0.720 Ha.)

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB 115/2008-BHO/2945 dated 25-04-2011 and in lieu of 0.720 hactare of affected forest land under the sanctioned project of **Petrol Pump & Elaid sarvies of Asim veshya & Mukharji Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 0.720 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Registry date 02-12-2010** for the purpose of compensatory afforestation.

Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-53/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-26° 05' 26" से N-26° 05' 28" उत्तर अक्षांश तथा E-78° 31' 13" से E-78° 31' 16" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - डबरा  
वन परिक्षेत्र - बेहट

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	नौगवां (ब)	नौगवां	भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि	344 मिन	0.399	उत्तर:-आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 459 से 458 तक की वन सीमा। पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 458 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 459 तक की वन सीमा।
योग					0.399	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-जी०एल०आर० रियल स्टेट प्रा०लि० ग्वालियर (सर्वे क्र० 244 मिन रकवा 0.399 हे०) :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी.161/2009-बी०एच०ओ०/428 दिनांक 10.03.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जी०एल०आर० रियल स्टेट प्रा०लि० ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना कालोनी पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.399 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.399 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.399 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 27-01-2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अंतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-53-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-53-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-53/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26° 05' 26" to N-26° 05' 28" North Latitude and E-78° 31' 13" to E-78° 31' 16" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Gwalior (Ghatigaon)  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Ghatigaon North

S. No	Name of Proposed Block	Detail fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nuagawa (B)	Nuagawa	Privat self land	244 min	0.399	<p><b>North</b> -RF forest block Devgarh Compt. no. 133 shouthern forest boundary from pillar Number 459 to 458</p> <p><b>East</b> - RF forest block Devharh Compt. no. 133 shouthern forest boundary pillar number 458 to Artificial Forest boundary pillar Number 1.</p> <p><b>South</b> -Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 2</p> <p><b>West</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to RF forest block Devgarh Compt. no. 133 shouthern forest boundary pillar Number 459.</p>
Grand Total					0.399	

**Reason for publication of Notification :-****1-G.L.R. Reoyal State Pvt. lmt. Gwalior (surevey No. 244 min area 0.399 Ha.)**

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB161/2009-BHO/428 dated 10-03-2010 and in lieu of 0.399 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Colony Aproch Road of G.L.R. Reoyal State Pvt. lmt. Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 0.399 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Registry date 27.01.2010 for the purpose of compensatory afforestation.

**2. Details of other Reasons - Nil**

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

- (1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.
- (2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-55/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपमेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N25°44'13.3" से N25°44'43.9", उत्तर अक्षांश तथा E78°35'50.6" से E78°36'14.9" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - दतिया  
वनमण्डल-दतिया

तहसील-दतिया  
वन परिक्षेत्र -दतिया

अनु. क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	7
1	बुहारा (ब)	बुहारा	शासकीय राजस्व भूमि	1635	0.260	उत्तर :- मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा पूर्व :- मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा दक्षिण :- मुनारा क्रमांक 10 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम :- मुनारा क्रमांक 19 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
				1636	3.790	
				1637	0.350	
				1639	2.740	
				1640	0.150	
				1641	4.630	
				1642	0.410	
				1643	10.230	
				1644	5.980	
				1645	0.620	
				1646	0.550	
				1647	0.260	
				1648	3.440	
				1649	0.870	
				1650	0.500	
			योग		34.780	

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8 सी./14/2003-एफ.सी.डब्ल्यू /3644 दिनांक 31-07-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दतिया की स्वीकृत परियोजना राजघाट नहर परियोजना में 34.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.780 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 34.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/3/बी-121/01/02 दिनांक 15.02.2002 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार दतिया जिला दतिया के प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2012 (संलग्न) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - कोई नहीं
- (2) सामुदायिक अधिकार -कोई नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-55-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-55-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-55/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25°44'13.3" to N-25°44'43.9" North Latitude and E-78°35'50.6" to E-78°36'14.9" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Datia

Tehsil - Datia

Forest Division - Datia

Forest Range - Datia

S. No	Detail fo Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Pr Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Buhara (B)	Buhara	Govt. revenue land	1635	0.260	North :- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 1 to 7 East :- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 7 to 10 South :- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 10 to 19 West :- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 19 to 1
2				1636	3.790	
3				1637	0.350	
4				1639	2.740	
5				1640	0.150	
6				1641	4.630	
7				1642	0.410	
8				1643	10.230	
9				1644	5.980	
10				1645	0.620	
11				1646	0.550	
12				1647	0.260	
13				1648	3.440	
14				1649	0.870	
15				1650	0.500	
Grand Total					34.780	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8 C/14/2003-FCW/3644 dated 31-07-2007 and in lieu of 34.780 hactare of affected forest land under the sanctioned project **Rajghat Canal Project of E.E Water Resourse Deptt. Datia** the above mentioned Non Forest Land of 34.780 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Datia order No. 3/B-121/01/02 dated 15.02.2002** for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons :- **Nil**

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 01.10.2012 By The Thesildar Seondha District Datia are as under. (enclosed)

(1) Rights of individuals :- **Nil**(2) Rights of Communities :- **Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.



भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-57/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-26° 2' 47" से N-26° 03' 10" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 56' 52" से E-77° 57' 7" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - घाटीगांव  
वन परिक्षेत्र - घाटीगांव उत्तर

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमार्ये
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	घाटीगांव (अ)	घाटीगांव	शासकीय राजस्व भूमि	389 392 393	12.958 7.200	उत्तर:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रं. आर.एफ. 233 की पश्चिमी के मुनारा क्रमांक 2 तक की वन सीमा। पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 233 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रं. 2 से 3 तक की वन सीमा। दक्षिण:- आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 233 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रं. 3 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग					20.158	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1- कैमारी तालाब (सर्वे क्रं 389, 392 रकवा 4.631 हे.) :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-MPB-155/2011-BHO/1886 दिनांक 13.11.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना कैमारी तालाब निर्माण में प्रभावित रकवा 4.631 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.633 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.633 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 07/2009-10/अ-19 दिनांक 04-08-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

2—करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण

(सर्वे क्रं0 389 मिन, 392 मिन रकवा 8.325 हे0) :-

1— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 6-MPC013/2013-BHO/629 दिनांक 29-12-2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण में प्रभावित 8.325 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.325 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.325 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 07/2009-10/अ-19 दिनांक 04-08-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2— अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

3—देवगढ़ से रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग निर्माण (सर्वे क्रं0 393 रकवा 7.200 हे0) :-

1— पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC013/2013-BHO/029 दिनांक 12-01-2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण में प्रभावित 7.200 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 7.200 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.200 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक कले./कोर्ट/35/08-09/अ-19 दिनांक 25-05-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2— अन्य कारणों का विवरण — निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार — उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार — उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-57-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-57/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26° 2' 47" to N-26° 03' 10" North Latitude and E-77° 56' 52" to E-77° 57' 7" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Ghatigaon  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Ghatigaon North

S. No.	Name of Proposed Block	Details fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghatigaon (A)	Ghatigaon	Govt. revenue land	389 392 393	12.958 7.200	<p><b>North</b>- Artificial Forest boundary pillar Number 1 to RF Block Aron Compt. no. 233 western Forest boundary pillar no. 2</p> <p><b>East</b> - RF Block Aron compt. no. 233 western forest boundary from pillar Number 2 to 3</p> <p><b>South</b> -RF Block Aron compt. no. 233 western forest boundary pillar Number 3 to Artificial Forest boundary pillar Number 4</p> <p><b>West</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 1</p>
Grand Total					20.158	

**(A) Reason for publication of Notification :-****1-Kemari dame Construction (survey No. 389 min, 392 min area 4.631 Ha.)**

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB-155/2011-BHO/1886 dated 13.11.13 and in lieu of 4.631 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kemari dame of E.E. Water Resources division Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 4.633 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. 07/2009-10/A-19 date 04-08-2010 for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

**2-Kariya to Aron Vya Golar Ghati raod Construction  
(survey No. 389 min, 392 min area 8.325 Ha.)**

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPC046/2014-BHO/2154 dated 29.12.2014 and in lieu of 8.325 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Kariya to Aron Vya Golar Ghati road of E.E. PWD Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 8.325 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. 07/2009-10/A-19 date 04-08-2010** for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land.

### 3- **Devgarh to Rarangarh Maata Temple road Construction** (survey No. 393 area 7.200 Ha.)

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPC013/2013-BHO/029 dated 12-01-2015 and in lieu of 7.200 hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Devgarh to Ratangarh maata Temple road of E.E. PWD Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 7.200 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. Cole./court/35/08-09/A-19 date 25-05-2009** for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-58/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-26° 11' 47" से N-26° 11' 58" उत्तर अक्षांश तथा E-78° 24' 32" से E-78° 24' 53" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला -ग्वालियर

तहसील-ग्वालियर

वनमण्डल-ग्वालियर

वन परिक्षेत्र -बेंहट

क्रं.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमार्ये
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरसौद (ब)	सिरसौद	शासकीय राजस्व भूमि	1336 मिन	3.350 1.090 4.398 0.550	उत्तर:- मुनारा क्रं. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- मुनारा क्रं. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- मुनारा क्रं. 6 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- मुनारा क्रं. 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग				9.388	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1- चराई डांग तालाब निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 3.350 हे.) :-

1-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक -२- दिनांक -२- में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की परियोजना चराई डांग तालाब निर्माण में प्रभावित 3.350 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.350 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.350 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू/आर0एम0/19-21/16/2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**2-अमरघा तालाब निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 1.090 हे0) :-**

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी. 017/2008-बी.एच.ओ./1864 दिनांक 26-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बांध सुरक्षा संभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना अमरघा तालाब निर्माण में प्रभावित 1.090 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.090 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.090 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू/आर0एम0/19-21/16/2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**3-हरसी उच्च स्तरीय नहर जौरासी टनल निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 4.398 हे0)**

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी. 115/2009-बी.एच.ओ./258 दिनांक 08-02-2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री हरसी उच्च नहर संभाग क्रमांक-2 ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना हरसी उच्च स्तरीय नहर जौरासी टनल निर्माण में प्रभावित 4.398 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.398 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.398 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4/08-09/अ-19 (दास्त) दिनांक 02-04-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**4-चड़ोखरा-जिगनिया मार्ग निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 0.550 हे0)**

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक -1- दिनांक -1- में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की परियोजना चड़ोखरा-जिगनिया मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.550 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.550 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.550 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म0प्र0 शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4/08-09/अ-19 दास्त दिनांक 02-04-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-58-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-58-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-58/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26°.11' 47" to N-26°.11' 58" North Latitude and E-78°.24' 32" to E-78°.24' 53" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Gwalior  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Behat,

S. No	Details fo Land Includet					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sirsod (B)	Sirsod	Govt. revenue land	1336 Min	3.350 1.090 4.398 0.550	North- Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5 East - Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6 South - Artificial Forest boundary from pillar Number 6 to 9 West - Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 1
Grand Total					9.388	

**(A) Reason for publication of Notification :-****1-Charai Dang dame Construction (survey No. 1336 min area 3.350 Ha.)**

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. -X- dated -- X- and in lieu of 3.350 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Charai Dang dame of E.E. Water Resources division Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 3.350 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/RM/19-21/16/2007 dt. 07-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation.

## 2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

- Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.
- Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land.

**2-Amardha Dame (survey No. 1336 min area 1.090 Ha.)**

- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6-MPB0117/2008-BHO/1864 dated 26-11-12 and in lieu of 1.090 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Amardha Dame

of **E.E. Sefty Zone Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of **1.090** hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. Q/RM/19-21/16/2007 dt. 07-07-2007** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

### **3-Harsi High level Tanal Construction (survey No. 1336 area 4.398 Ha.)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. **6-MPB 115/2009-BHO/258** dated **08-02-2010** and in lieu of **4.398** hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Harsi High level Tanal Construction of E.E. Harsi High level Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of **4.398** hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. 04/08-09/A-19 (Dast)** dated **02-04-2009** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

### **4-Charokhara-Jigniya Road Construction (survey No. 1336 area 0.550 Ha.)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. --X-- dated --X-- and in lieu of **0.550** hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Charokhara-Jigniya Road Construction of E.E. PWD Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of **0.550** hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. 4/08-09/A-19 (Dast)** dated **02-04-2009** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

(1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.

(2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.



भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-59/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-26°.12' 20" से N-26° 12' 5 " उत्तर अक्षांश तथा E-78°.24' 25" से E-78° 24' 42" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - ग्वालियर  
वन परिक्षेत्र - बेहट

क्रमांक	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरसौद (अ)	सिरसौद	शासकीय राजस्व भूमि	1330 1331,	1.000 15.910	उत्तर:- मुनारा क्रं. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- मुनारा क्रं. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:- मुनारा क्रं. 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:- मुनारा क्रं. 7 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			योग		16.910	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन भवन निर्माण (सर्वे क्रं0 1330 में रकवा 1.000 हे0)  
1-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी. 133/2007-बी.एच.ओ. /563 दिनांक 01-04-2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन निर्माण में प्रभावित 1.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के संशोधित आदेश क्रमांक क्यू/न.अ./री-2/03/2005-06 /अ-20 (3) दिनांक 20 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

**2-चराई डांग तालाब निर्माण (सर्वे क्रं0 1331 में रकवा 15.910 हे.) :-**

1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक -X- दिनांक -X- में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की परियोजना चराई डांग तालाब निर्माण में प्रभावित 15.910 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 15.910 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.910 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू /आर0एम0 / 19-21 / 16 / 2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक**

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-59-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-59-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

No F-25-59/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-26°.12' 20" to N-26°.12' 5" North Latitude and E-78°.24' 25" to E-78°.24' 42" East Longitude.

**SCHEDULE**

District - Gwalior Tehsil - Gwalior  
Forest Division - Gwalior Forest Range- Behat

S. No	Details fo Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Proposed Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sirsod (A)	Sirsod	Govt. revenue land	1330 1331 Min	1.000 15.910	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5 East - Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6 South - Artificial Forest boundary from pillar Number 6 to 7 West - Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 1
Grand Total					16.910	

**(A) Reason for publication of Notification :-****1-New High Court Building Construction (survey No. 1330 area 1.000 Ha)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests Govt. of India's order No. 6-MPB 133/2007-BHO/563 dated 01-04-2010 and in lieu of 1.000 hactare of affected forest land under the sanctioned project of **New District Court Building of District Court Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 1.000 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No **Collector Gwalior Revised order No. Q/NM/ri-2/03/2005-06/A-20(3) dt. 20-06-2008** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under. (enclosed)

- (1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.
- (2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

**2-Charai Dhang Dame (survey No. 1331 area 15.910 Ha)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests Govt. of India's order No. -X- dated -X- and in lieu of 15.910 hactare of affected forest land under the sanctioned project of **New Charai Dhang Dame of E.E. Water Resources division Gwalior**, the above mentioned Non Forest Land of 15.910 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. **Collector Gwalior order No. Q/RM/19-21/16/2007 dt. 07-07-2007** for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintendent land record Gwalior dist. Gwalior are as under. (enclosed)

- (1) **Rights of individuals** :- There are no individual rights on the said land.
- (2) **Rights of Communities** :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-60/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N-25° 49' 47" से N-25° 50' 27" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 50' 30" से E-77° 51' 23" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - ग्वालियर  
वनमण्डल - ग्वालियर

तहसील - घाटीगांव  
वन परिक्षेत्र - घाटीगांव दक्षिण

अनु. क्रं.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमायें
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7
1	सनकुआ (अ)	सनकुआ	शासकीय राजस्व भूमि	152, 153, 157, 158, 159, 160/1 160/2 161/1, 161/2, 162, 163, 167 170, 171, 175 167 मिन, 149 मिन	0.063 6.761 1.787 0.209 0.052 5.748 0.282 0.397 7.367 6.688 5.706 1.771 6.981 5.257 3.031 0.526 6.015	उत्तर:-आरक्षित वनखण्ड सनकुआ के मुनारा क्रं. 21 से प्रस्तावित वनखण्ड के मु.क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 12 से मुनारा क्रमांक 26 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण:-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 26 से मुनारा क्रमांक 28 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम:-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 28 से आरक्षित वनखण्ड सनकुआ के मुनारा क्रं. 21 तक की वन सीमा।
योग				58.641		

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-**

1-लिधौरा तालाब निर्माण (सर्वे क्र० 152,153,157,158, 159,160/1, 2, 161/1,2, 162,163,167,170, 171,175 रकवा 52.100 हे.) :-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ 8-183/97-एफ.सी.(पी.टी.) दिनांक 10 दिसम्बर 2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना लिधौरा तालाब निर्माण में प्रभावित 52.100 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 52.100 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 52.100 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक व्यू/आर०एम०/19-21/16/2007 दिनांक 20-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

2-ए०डी०बी० 33 के.व्ही. ग्वालियर-घाटीगांव विद्युत लाईन निर्माण (सर्वे क्र० 167 मिन, 149 मिन रकवा 6.541 हे०) :-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक -X- दिनांक -X- में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री म०प्र०वि०क्षे०वि०कं.लि. ग्वालियर की परियोजना ए०डी०बी० 33 के.व्ही. ग्वालियर-घाटीगांव विद्युत लाईन निर्माण में प्रभावित 6.541 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.541 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.541 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक व्यू/आर०एम०/19-21/16/2007 दिनांक 01-10-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

- (1) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- (2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-60-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-60-2016-दस-3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22<sup>nd</sup> June 2016

**No F-25-60/2016/10-3** ::in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25°.49' 47" to N-25°.50' 27" North Latitude and E-77°.50' 30" to E-77°.51' 23" East Longitude.

### SCHEDULE

District - Gwalior Tehsil - Ghatigaon  
Forest Division - Gwalior Forest Range - Ghatigaon south

S.N o.	Name of Proposed Block	Detail fo Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area in hact.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sankua (A)	Sankua	Govt. revenue land	152 153 157 158 159 160/1 160/2 161/1 161/2 162 163 167 170 171 175 167 Min 149 Min	0.063 6.761 1.787 0.209 0.052 5.748 0.282 0.397 7.367 6.688 5.706 1.771 6.981 5.257 3.031 0.526 6.015	<b>North</b> -Reserved Block of Sankua from Pillar no. 21 to proposed block Pillar no. 12 Artificial Forest boundary. <b>East</b> - proposed block Artificial Forest boundary from pillar Number 12 to 26 <b>South</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 26 to 28 <b>West</b> - Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 21 of Reserved Block Sankua forest boundary line.
Grand Total					<b>58.641</b>	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

**1-Lidhora dame Construction (survey No. 152,153,157,158,159,160/1,2, 161/1,2,162,163,167,170,171,175 area 52.100 Ha.)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. F8-183/97-FC (pt) dated 10-12-2008 and in lieu of 52.100 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lidhora dame of E.E. Water Resources division Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 52.100 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/RM/19-21/16/2007 date 20-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

- (1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.
- (2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land.

**2-A.D.B. 33 K.V. Gwalior-Ghatigaon electric Line  
(survey No. 167 min, 149 min area 6.541 Ha.)**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. -X- dated --X- and in lieu of 6.541 hectare of affected forest land under the project of A.D.B. 33 K.V. Gwalior-Ghatigaon electric Line of E.E. MP el.VVCo.Ltd. Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 6.541 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/RM/19-21/16/2007 date 01-10-07 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under.  
(enclosed)

- (1) **Rights of individuals :-** There are no individual rights on the said land.
- (2) **Rights of Communities :-** There are no Communities rights on the said land.

**Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-17-2016-स्था-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 244, दिनांक 15 जून 2016 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 के स्थान पर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 मुद्रित हो गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 1977 अंकित हो गया है।

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1977 के स्थान पर "मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 पढ़ा जावे"

सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर, दिनांक 25 मई 2016

क्र. 10-अ-82-वर्ष 2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (5) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
- (ख) तहसील—परसवाड़ा
- (ग) ग्राम—सहेजना
- (घ) प.ह.न.—11/40
- (ङ) क्षेत्रफल—0.972 हेक्टर.



क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम, जाति व निवासी ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल अर्जित क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार
			सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	श्री सुखमन दास मगनदास वल्द धुडन दास एवं अन्य एक जाति पनका सा. सहेजना	72/3 में से	—	0.042	निजी भूमि
02.	श्री ज्ञानदास पिता कुलपत दास जाति पनका सा. सहेजना	70/1 में से	—	0.082	निजी भूमि
03	श्री छन्नू वल्द सुमरन जाति अहीर सा.सहेजना	70/9 में से	—	0.116	निजी भूमि
04	श्रीमति ठगियाबाई वल्द सुखमन श्रीमति ठबिगयाबाई जोजे भरतलाल जाति कलार सा. सहेजना	69/9 में से 70/11 में से	—	0.099 0.081 0.180	निजी भूमि
05	श्री फग्गू लाल वल्द टनटू साव जाति कलार सा. सहेजना	11/5 में से	—	0.104	निजी भूमि
06	श्री होमकरण पिता चिन्तू जाति कलार सा. सहेजना	11/3 में से	—	0.041	निजी भूमि
07	श्री सुखदेव प्रसाद, सोमेश्वर, सुमदेव, सा सहेजना, रामेश्वर राजेशप्रसाद वल्द शारदाप्रसाद, चैनवती वेवा शारदा प्रसाद वगैरह	20 में से	—	0.197	निजी भूमि
08	श्रीमति सोहद्राबाई पति राधेलाल जाति कलार सा. सहेजना	13/5 में से	—	0.048	निजी भूमि
09	श्री अम्मूलाल वल्द रघुन जाति मरार सा. सहेजना	15/5 में से	—	0.162	निजी भूमि
योग	09 खातेदार	10		0.972	

- 2.) सार्वजनिक प्रयोजन द्वारा जलाशय (झाराखेडा) के पूर्ण नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है।
- 3.) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजन, संभाग बैहर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्ष दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 7 जून 2016

प्र.क्र. 01-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2014-15.—भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयवाधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक-(2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक -(2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला - टीकमगढ़  
(ख) तहसील - बल्देगवढ़  
(ग) नगर/ग्राम- मोने का खेरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.690

स. क्र. (1)	भूमि स्वामी का नाम (2)	भूमि का खसरा नंबर (3)	अर्जित रकवा (हेक्टे. में) (4)
1	खुमना बालकिशन उद्देता तनय गुन्चा जाति ढीमर पता नि. डारगुवा भूमि निवासी	1063/1(सिंचित)	0.290
2	गुन्चा तनय पुन्चू जाति ढीमर पता नि. डारगुवा भूमि स्वामी	1063/2(सिंचित)	0.400
	कुल योग-		0.690

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 09-अ-82-2014-15.—

टीकमगढ़, दिनांक 14 जून 2016

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में कवाघाट तालाब की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समयमें आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. परियोजना का नाम — कवाघाट तालाब नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण — ग्राम-बारोन, तहसील-लिधौरा, जिला-टीकमगढ़  
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल- 1.259 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हे. में)	अर्जित (रकवा हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मु. दुर्गा पुत्री बैजनाथ यादव	32	0.166	0.010
		योग :	0.166	0.010
2	काशीबाई पत्नी मोतीलाल यादव	102/1 क	1.500	0.050
		योग :	1.500	0.050
3	सोनी हल्काई तनय मोजी, हेमा पत्नी पप्पू 1/4 छुट्टा भैयाराम हरपल्ले, गुलाब, भूपत तनय प्यारेलाल अमनिया धमनिया, रामकुंवर पुत्री प्यारेलाल 1/4 गनेशी तनय मंगल यादव 1/2	106, 104, 107, 108, 109	3.488	0.200
		योग :	3.488	0.200
4	श्यामदयाल तनय छक्की यादव	62, 65, 64	0.765	0.094
		योग :	0.765	0.094
5	शोभाराम रईस तनय मोतीलाल 2/9, मोतीलाल तनय जसरथ 1/9 वृषभान तनय बल्देव 1/3 देवेन्द्र, जाहर तनय रामस्वरूप एवं रजकू बेबा रामस्वरूप 1/6 कौलाश तनय जयराम 1/6 जाति यादव	31, 33, 34, 35	0.987	0.130
		योग :	0.987	0.130

6	मु. दुर्गा पुत्री बैजनाथ 1/4 सुन्नू रामबगस रघुवीर गुलाब तनय हरप्रसाद मु. तुलसीबाई बेबा हरप्रसाद 1/4 मोती तनय जसरथ यादव 1/4 विजई तनय कामता 1/4 जाति नाई	87, 102, /2	6.563	0.550
		योग :	<b>6.563</b>	<b>0.550</b>
7	सुन्नू रामबगस रघुवीर, गुलाब तनय हरप्रसाद एवं मु. तुलसीबाई बेबा हरप्रसाद	36, 37	0.821	0.225
		योग :	<b>0.821</b>	<b>0.225</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— कवाघाट तालाब नहर निर्माण करने हेतु।  
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 8 जून 2016

क्र. -भू-अर्जन-2015.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 25/ए/82/2013-14, चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बावड़ीखेड़ा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील जीरापुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		कुल योग
		सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.2	0.676	0.876
	कुल योग	0.2	0.676	0.876

(बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील जीरापुर, जिला-राजगढ़, मध्यप्रदेश।

## अनुसूची-2

बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुलाब, दर्यावसिंह, प्रभूसिंह आत्मज रामा माता नाथीबाई पति रामा जाति लोधा पता नि. जबरपुरा भू-स्वामी	14/2, 15	1.506	0.135	0	0.135
	योग	1	1.506	0.135	0	0.135
2	रत्तीराम, गंगाराम आ. भैरु जाति लोधा नि. जबरपुरा भू-स्वामी	21/3 21/5 21/6	1.497	0	0.225	0.225
	योग	1	1.497	0	0.225	0.225
3	कंवरलाल, शंकरलाल आ. सालगराम जाति गायरी नि. ग्राम कंकरीया भू-स्वामी	21/7/1 22/1/1	0.336	0	0.126	0.126
	योग	1	0.336	0	0.126	0.126
4	नन्दा बाई बेवा नन्दा हि. 1/4 अमरसिंह, प्रभूलाल आ. रामा हि. 2/4 जाति लोधा नि. ग्राम जबरपुरा भू-स्वामी	23/1 24/1 25/1 25/2, 26/1, 47/3	0.595 0.728	0 0	0.040 0.090	0.040 0.090
	योग	2	1.323	0	0.130	0.130
5	शंकरलाल, जगन्नाथ आ. शिवलाल जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी	48	0.040	0	0.005	0.005
	योग	1	0.040	0	0.005	0.005
6	बालचन्द आ. भैरु जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी	49 50 51	0.972 0.174	0 0.065	0.055 0	0.055 0.065
	योग	2	1.146	0.065	0.055	0.120
7	पानबाई पति नन्दा जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी	52	0.283	0	0.135	0.135
	योग	1	0.283	0	0.135	0.135
	कुल योग	किता 9	6.131	0.2	0.676	0.876

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. -भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2013-14 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में गादिया तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गादिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं। चूंकि गादिया तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

#### अनुसूची-1

##### ग्राम गादिया तहसील जीरापुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		कुल योग
		सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0	0.819	0.819
कुल योग :-		0	0.819	0.819

(गादिया तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम गादिया तहसील जीरापुर, जिला-राजगढ़ म.प्र.

#### अनुसूची-2

##### गादिया तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

क्रं	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पूरीलाल, सुजानसिंह पिता गब्बा जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भू-स्वामी	706 702/3 702/4/2	0.717 0.04 0.043	-	0.040 0.040 0.043	0.040 0.040 0.043
योग		3	0.8	0	0.123	0.123
2	रोशनसिंह, हरिसिंह पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी	701/1/1 701/1/2	0.219 0.219	-	0.016 0.017	0.016 0.017
योग		2	0.438	0	0.033	0.033
3	बद्रीलाल पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	701/1/3	0.219	0	0.017	0.017
योग		1	0.219	0	0.017	0.017
4	करणसिंह पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	701/1/4	0.219	0	0.017	0.017
योग		1	0.219	0	0.017	0.017

5	नारायणसिंह पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	701/1/5	0.219	0	0.017	0.017
		713/2	0.061	0	0.021	0.021
		714/3	0.162	0	0.022	0.022
	योग		0.442	0	0.060	0.060
6	रतनलाल पिता केसरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूस्वामी	701/1/6	0.365	-	0.040	0.040
		715/1/3	0.02	0	0.020	0.020
	योग		0.385	0	0.060	0.060
7	लक्ष्मीनारायण पिता केसरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूस्वामी	701/1/7	0.364	-	0.022	0.022
		715/1/1	0.15	0	0.040	0.040
	योग		0.514	0	0.062	0.062
8	देवकरण पिता केसरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूस्वामी	701/1/8	0.364	-	0.045	0.045
		715/1/2	0.05	0	0.050	0.050
	योग		0.414	0	0.095	0.095
9	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	701/2	0.446	0	0.082	0.082
	योग		0.446	0	0.082	0.082
10	भेरूलाल, छगनलाल पिता मोतीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	694	0.445	0	0.030	0.030
		695	0.648	0	0.120	0.120
	योग		1.093	0	0.150	0.150
11	भगवानसिंह, रायसिंह, रामलाल पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	715/1/4	0.150	0	0.010	0.010
		715/1/5	0.050	0	0.010	0.010
		715/1/6	0.020	0	0.010	0.010
	योग		0.220	0	0.030	0.030
12	मेहताब बाई विधवा मोतीलाल, भेरूलाल, छगनसिंह आत्मज मोतीलाल, उमराव बाई विधवा मोतीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	713/3	0.688	0	0.090	0.090
	योग		0.688	0	0.090	0.090
	कुल योग	किला-23	4.878	0	0.819	0.819

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 5117-18-प्रवा.-2016.—

राजगढ़, दिनांक 9 जून 2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## -: अनुसूची :-

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कुशलपुरा

स. क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पर्वतसिंह पिता उंकार जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/1/4	1.012	0.000	0.432	0.432
योग :-		<del>1</del>	1.012	0.000	0.432	0.432
2	अमरसिंह पिता मोहनलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/10	1.765	0.000	0.780	0.780
योग :-		<del>1</del>	1.765	0.000	0.780	0.780
3	रामचंद्र, सुगनबाई पिता सालगराम अनोखबाई पति सालगराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/7	1.747	0.735	0.000	0.735
योग :-		<del>1</del>	1.747	0.735	0.000	0.735
योग (कुशलपुरा) :-		<del>3</del>	4.524	0.735	1.212	1.947

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रोजड़खुर्द

1	धीरपसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1/1	2.000	0.600	0.000	0.600
योग :-		<del>1</del>	2.000	0.600	0.000	0.600
2	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	21/3/2	1.000	0.600	0.000	0.600
योग :-		<del>1</del>	1.000	0.600	0.000	0.600
3	कालू पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/3/1	0.843	0.543	0.000	0.543
योग :-		<del>1</del>	0.843	0.543	0.000	0.543
4	ललताबाई बेवा मांगीलाल विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/3/3	0.843	0.543	0.000	0.543
योग :-		<del>1</del>	0.843	0.543	0.000	0.543
5	मोहनबाई पति सजनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/7	2.529	0.900	0.000	0.900
योग :-		<del>1</del>	2.529	0.900	0.000	0.900
6	मांगीलाल पिता करणसिंह जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी	12/9	2.529	0.590	0.000	0.590
योग :-		<del>1</del>	2.529	0.590	0.000	0.590



क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	मांगीलाल पिता गब्बा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	33/2/2	0.843	0.700	0.000	0.700
योग :-			1	0.843	0.700	0.000
8	गोकुलबाई पति बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/1/2/2	0.910	0.515	0.000	0.515
योग :-			1	0.910	0.515	0.000
9	हरिसिंह पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/1/2	1.404	0.800	0.000	0.800
योग :-			1	1.404	0.800	0.000
10	नारायणसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/2/2	0.285	0.280	0.000	0.280
योग :-			1	0.285	0.280	0.000
11	प्यारा पिता हरलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	22/15	0.347	0.347	0.000	0.347
योग :-			1	0.347	0.347	0.000
12	घीसीबाई बैवा नारानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1/3/2	2.000	0.627	0.000	0.627
योग :-			1	2.000	0.627	0.000
योग (रोजड़खुर्द) :-			12	15.533	7.045	0
गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम दलेलपुरा						
1	रामप्रसाद पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	316	0.417	0.417	0.000	0.417
		317	0.253	0.253	0.000	0.253
योग :-			2	0.670	0.670	0.000
योग (दलेलपुरा) :-			2	0.670	0.670	0.000
महायोग :-			17	20.727	8.450	1.212

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. .../अ+82/201 2-201 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम पीपलबे जागीर के लिए शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मूण्डला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची ( 1 )

मूण्डला सिंचाई परियोजना में शेष प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पीपलबे जागीर	7.316	13.545	20.861

—: अनुसूची ( 2 ) :-

मूण्डला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम पीपलबे जागीर

तहसील :- ब्यावरा

जिला :- राजगढ़

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हीरालाल पिता नाथू, नारानीबाई बेवा नाथू, पर्वतसिंह पिता भंवरलाल, मांगीलाल, प्रभूलाल, हजारीलाल पिता गंगाराम, धूलजी, गोपीलाल, सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल हि.50 पेसे भागमल पिता कोका हि.50 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	50/1 64 66 95 155	0.660 0.089 0.342 0.772 0.278	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.202 0.089 0.342 0.202 0.278	0.202 0.089 0.342 0.202 0.278
	योग -	5	2.141	0.000	1.113	1.113
2	उदयसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	51/1 56 60	0.224 1.622 0.772	0.000 0.000 0.000	0.036 0.253 0.772	0.036 0.253 0.772
	योग	3	2.618	0.000	1.061	1.061

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्द्रसिंह पिता जगन्नाथसिंह, तखतकुंवर बेवा जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	58/2 62/2 201 202 205 206 207 208 210 211 212 213 214 220	0.480 0.149 0.392 0.126 0.101 0.114 0.202 0.025 0.076 0.329 0.139 0.114 0.177 0.089	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.202 0.149 0.266 0.126 0.101 0.114 0.202 0.025 0.076 0.329 0.139 0.114 0.177 0.067	0.202 0.149 0.266 0.126 0.101 0.114 0.202 0.025 0.076 0.329 0.139 0.114 0.177 0.067
	योग	14	2.513	0.000	2.087	2.087
4	नन्नु, गोकूल, बदरी पिता नाथू मुकेशर बेवा नाथू कवरी, मथरी पुत्री नाथू जाति चमार नि.ग्राम गोपालपुरा भू-स्वामी	59	0.126	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.126	0.000	0.051	0.051
5	भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	62/1 67 68 89 80/1 128 135/1 137	0.053 0.417 0.038 0.810 0.443 1.480 0.118 0.063	0.053 0.417 0.000 0.036 0.293 0.405 0.118 0.000	0.000 0.000 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.063	0.053 0.417 0.038 0.036 0.293 0.405 0.118 0.063
	योग	8	3.422	1.322	0.101	1.423
6	भंवरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	63/2 223/2 216/1 217 218/1 219/1 227/1/1 227/2/1 228/1 230/1 231/1 232/1 233/1 234/1	0.031 0.114 0.284 0.013 0.051 0.551 0.178 0.139 0.069 0.045 0.089 0.019 0.354 0.069	0.031 0.114 0.284 0.013 0.051 0.100 0.178 0.139 0.069 0.045 0.089 0.000 0.354 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000 0.069	0.031 0.114 0.284 0.013 0.051 0.100 0.178 0.139 0.069 0.045 0.089 0.019 0.354 0.069
	योग	14	2.006	1.467	0.088	1.555

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	कमलसिंह पिता नारायणसिंह सर कुवंरबाई बेवा नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	63/1 216/2 218/2 219/2 221/1/1 222/2 223/1 227/1/2 228/2 230/2 231/2 232/2 233/2 234/2	0.032 0.290 0.051 0.550 0.463 0.019 0.114 0.178 0.069 0.045 0.089 0.019 0.355 0.070	0.032 0.290 0.051 0.550 0.012 0.019 0.114 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.355 0.000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.178 0.069 0.045 0.089 0.000 0.000 0.000 0.070	0.032 0.290 0.051 0.550 0.012 0.019 0.114 0.178 0.069 0.045 0.089 0.019 0.355 0.070
	योग	14	2.344	1.442	0.451	1.893
8	भीमा पिता गिरधारी जाति भोई नि.ग्राम भूमि स्वामी	80/2 84/2	0.342 0.645	0.342 0.538	0.000 0.000	0.342 0.538
	योग	2	0.987	0.880	0.000	0.880
9	भगवतसिंह, छगनसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	85/1 132/1	0.210 0.047	0.000 0.000	0.210 0.023	0.210 0.023
	योग	2	0.257	0.000	0.233	0.233
10	कमला कुवंर पत्नि स्व.राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	86	1.062	0.253	0.000	0.253
	योग	1	1.062	0.253	0.000	0.253
11	हीरालाल पिता नाथू नारानीबाई बेवा नाथू हि.17 पेसे पर्वतसिंह आ. भंवरलाल हि. 8 पेसे मांगीलाल, प्रभूलाल, हजायीलाल आ.गंगाराम हि. 25 पेसे धूलजी पिता गोपीलाल, सम्पत पुत्री गोपीलाल हि.50 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	93	0.316	0.000	0.051	0.051
	योग	1	0.316	0.000	0.051	0.051
12	गुमानसिंह पिता गोपालालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	132/2 135/2 85/2	0.048 0.046 0.211	0.000 0.000 0.000	0.021 0.046 0.055	0.021 0.046 0.055
	योग	3	0.305	0.000	0.122	0.122
13	भंवरलाल, सुमेरसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	132/3	0.044	0.000	0.022	0.022
	योग	1	0.044	0.000	0.022	0.022

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	भंवरलाल, सुमेरसिंह पिता धूलसिंह हि.50 पेसे भंवरलाल, मंगूसिंह पिता नन्दसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुगन कुंवर, चन्दा कुंवर पिता लक्ष्मणसिंह युंवर कुंवरबाई बेवा लक्ष्मणसिंह हि.17 पेसे केसरसिंह, अमरसिंह पिता दरियावसिंह हि.33 पेसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	136/1 141/1 324/1/1	0.030 0.223 0.354	0.000 0.000 0.000	0.030 0.223 0.054	0.030 0.223 0.054
	योग	3	0.607	0.000	0.307	0.307
15	भगवान, छगन पिता मोडसिंह गुमानसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	136/2 141/2	0.030 0.224	0.000 0.000	0.030 0.074	0.030 0.074
	योग	2	0.254	0.000	0.104	0.104
16	गुमानसिंह, दत्तक पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	136/3	0.029	0.000	0.029	0.029
	योग	1	0.029	0.000	0.029	0.029
17	प्रतापसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	142/1 149/1 150/1 151/1	0.045 0.038 0.067 0.026	0.000 0.000 0.000 0.000	0.045 0.038 0.067 0.026	0.045 0.038 0.067 0.026
	योग	4	0.176	0.000	0.176	0.176
18	किशोरसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	142/2 150/3 151/2	0.044 0.068 0.025	0.000 0.000 0.000	0.044 0.068 0.025	0.044 0.068 0.025
	योग	3	0.137	0.000	0.137	0.137
19	रामनारायण, प्रेम नारायण पिता रामप्रसाद जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	143	0.025	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.000	0.025	0.025
20	माधोसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	203/2 160/2 198 224/2 226/4 144/1/4 147/1/2	0.082 0.132 0.126 0.189 0.234 0.025 0.019	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.082 0.132 0.063 0.189 0.100 0.025 0.019	0.082 0.132 0.063 0.189 0.100 0.025 0.019
	योग	7	0.807	0.000	0.610	0.610
21	कृष्णा कुंवर पत्नि विष्णुसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	144/2	0.101	0.000	0.101	0.101
	योग	1	0.101	0.000	0.101	0.101
22	परताप पिता देवा जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी	145	0.114	0.000	0.078	0.078
	योग	1	0.114	0.000	0.078	0.078

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	धरमपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	144/3	0.102	0.000	0.102	0.102
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.102</b>	<b>0.000</b>	<b>0.102</b>	<b>0.102</b>
24	तंवरलाल, बलराम पिता भंवरलाल, रतन कुंवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	146/1 199 224/3 226/3	0.120 0.190 0.190 0.234	0.000 0.000 0.000 0.000	0.120 0.095 0.190 0.100	0.120 0.095 0.190 0.100
	<b>योग</b>	<b>4</b>	<b>0.734</b>	<b>0.000</b>	<b>0.505</b>	<b>0.505</b>
25	राजपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	147/3 148	0.076 0.038	0.076 0.038	0.000 0.000	0.076 0.038
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.114</b>	<b>0.114</b>	<b>0.000</b>	<b>0.114</b>
26	सिद्धीबाई पति नन्दराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	149/2 150/2	0.038 0.067	0.000 0.000	0.038 0.067	0.038 0.067
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.105</b>	<b>0.000</b>	<b>0.105</b>	<b>0.105</b>
27	भंवरलाल, प्रहलादसिंह, माधो, सोमनाथसिंह, अमरसिंह पिता मोतीसिंह, चन्द्रसिंह, दत्तक पुत्र देवीसिंह, मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह, चांदबाई, भंवरसिंह, चन्द्रसिंह, मोनीसिंह, केसरसिंह, शिवराजसिंह पिता गुलाबसिंह, कृष्ण कुंवर पिता गुलाबसिंह हि.50 पेसे मुमोडबाई बेवा लालसिंह, भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह, भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्द्रसिंह आ.जगन्नाथसिंह, किशोरसिंह पिता सुल्तानसिंह तरवर कुंवर बेवा जगन्नाथसिंह चांदबाई बेवा चैनसिंह हि. 33 पेसे भंवरलाल, रणजीतसिंह, कमलसिंह दत्तक पुत्र नारायणसिंह मु. सर. कुंवर बेवा नारायणसिंह हि.9 पेसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	153	0.076	0.000	0.076	0.076
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.076</b>	<b>0.000</b>	<b>0.076</b>	<b>0.076</b>
28	भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह, भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्द्रसिंह पिता जगन्नाथसिंह लखत कुंवर बेवा जगन्नाथसिंह हि. 23 पेसे भंवरलाल आ.रणजीतसिंह हि.23पेसे कमलसिंह पिता नारायणसिंह सर. कुंवर बेवा नारायणसिंह हि.5 पेसे भंवरलाल, कुंवरसिंह, उदयसिंह, हरिसिंह, दलपतसिंह पिता गोरधनसिंह, जोरावरसिंह पिता रुग्नाथसिंह, किशोरसिंह पिता उमरावसिंह, पदमसिंह, दीपसिंह, प्रेमसिंह आ. रामनाथसिंह हि. 34 पेसे चांदबाई बेवा भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्द्रसिंह, हीरालाल पिता नाथू, नारानीबरई बेवा नाथू, पर्वतसिंह आ. भंवरलाल, धूलजी पिता गोपीलाल, सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल, गंगाराम पिता लछमन, भागमल आ. कोका हि.33 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	154	0.076	0.076	0.000	0.076
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.076</b>	<b>0.076</b>	<b>0.000</b>	<b>0.076</b>
29	शिवनारायण पिता गेन्दालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	157/1	0.102	0.000	0.102	0.102
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.102</b>	<b>0.000</b>	<b>0.102</b>	<b>0.102</b>
30	बृजमोहन पिता गेन्दालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	157/2	0.101	0.000	0.101	0.101
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.101</b>	<b>0.000</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>
31	सुनिल कुमार पिता रामकिशन सुनिता बाई पुत्री रामकिशन मुन्नीबाई बेवा रामकिशन जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	157/3	0.101	0.000	0.101	0.101
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.101</b>	<b>0.000</b>	<b>0.101</b>	<b>0.101</b>

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	किशोरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	158 159/1	0.025 0.133	0.000 0.000	0.025 0.133	0.025 0.133
	योग	2	0.158	0.000	0.158	0.158
33	भारतसिंह पिता भंवरलाल, धनकुंवर बेवा भंवरलाल, रामकुंवर बेवा रूपसिंह, रानी कुंवर पुत्री रूपसिंह हि.20 पेसे तंवरलाल, विक्रमसिंह पिता कुमरसिंह हि.20 पेसे उदयसिंह, दलपतसिंह पिता गोवर्धनसिंह हि.40 पेसे विष्णुसिंह, जुगरातसिं आ. हरिसिंह, अमृत कुंवर बेवा हरिसिंह जाति राजपूत हि.20 पेसे नि.ग्राम भू-स्वामी	159/2 161/4 319	0.133 0.060 0.354	0.133 0.060 0.101	0.000 0.000 0.000	0.133 0.060 0.101
	योग	3	0.547	0.294	0.000	0.294
34	रघुनंदन पिता उदयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	161/2	0.060	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.060	0.000	0.060	0.060
35	देवीसिंह, प्रहलादसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	161/3	0.060	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.060	0.000	0.060	0.060
36	देवा आ.बाबर हि.25 पेसे मोजा आ. धन्ना हि.25 पेसे कस्तूरी पुत्री धन्ना हि.25 पेसे दोला गंगाराम, हजारी, कन्या, भागमल, जालम आ. मोती, केसर, हरकू, गुलाम पुत्री मोती प्यारी बेवा मोती हि. 45 पेसे घीसा मुकेश आ.पूया, सरजू बेवा पूया भारत दयाल आ. परस्या सोरम बेवा परस्या हि.5 पेसे जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	163	0.051	0.000	0.025	0.025
	योग	1	0.051	0.000	0.025	0.025
37	हीरा पिता गेन्दा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	164	0.038	0.000	0.019	0.019
	योग	1	0.038	0.000	0.019	0.019
38	रघुवीरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	221/1/2 222/1	0.462 0.019	0.000 0.000	0.012 0.019	0.012 0.019
	योग	2	0.481	0.000	0.031	0.031
39	भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्द्रसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	221/2	0.923	0.000	0.012	0.012
	योग	1	0.923	0.000	0.012	0.012
40	भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	225/2	0.341	0.012	0.000	0.012
	योग	1	0.341	0.012	0.000	0.012
41	जगदीश, जितेन्द्र, सोनू ना.बा.पिता रामबक्ष सरपरस्त भाला मांगीबाई पिता रामबक्ष जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	227/2/2/2/1 235/2	0.050 0.551	0.000 0.000	0.050 0.253	0.050 0.253
	योग	2	0.601	0.000	0.303	0.303
42	रामबाबू पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	227/2/2/2/2 236/2	0.057 0.544	0.000 0.000	0.057 0.544	0.057 0.544
	योग	2	0.601	0.000	0.601	0.601
43	गोरधन पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	237/2 238/2	0.114 0.493	0.114 0.493	0.000 0.000	0.114 0.493
	योग	2	0.607	0.607	0.000	0.607
44	प्रेमसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	325/1/1	0.155	0.000	0.155	0.155
	योग	1	0.155	0.000	0.155	0.155

स. क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45	दीपसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	325/1/2	0.155	0.000	0.155	0.155
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.155</b>	<b>0.000</b>	<b>0.155</b>	<b>0.155</b>
46	कृष्णा कुंवर पत्नि विष्णूसिंह सणा जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	147/2	0.076	0.000	0.076	0.076
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.076</b>	<b>0.000</b>	<b>0.076</b>	<b>0.076</b>
47	मांगीलाल, पिता जगन्नाथ, जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी	227/2/2/1 235/1 236/1/1	0.108 0.551 0.090	0.000 0.000 0.000	0.108 0.353 0.090	0.108 0.353 0.090
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.749</b>	<b>0.000</b>	<b>0.551</b>	<b>0.551</b>
48	हीरालाल पिता नाथू नारानीबाई बेवा नाथू हि. 17 पैस परवतसिंह पिता भंवरलाल हि. 8 पैसे मांगीलाल प्रभुलाल, हजारीलाल पिता गंगाशम हि. 25 पैसे धूलजी पिता गोपीलाल सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल हि. 50 पैसे जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू. स्वामी	79/1/1 77/1 78/1	0.181 0.291 0.105	0.000 0.291 0.105	0.181 0.000 0.000	0.181 0.291 0.105
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.577</b>	<b>0.396</b>	<b>0.181</b>	<b>0.577</b>
49	तंवरलाल पिता कुमरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू. स्वामी	73/1	0.641	0.000	0.641	0.641
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.641</b>	<b>0.000</b>	<b>0.641</b>	<b>0.641</b>
50	विष्णू पिता जगन्नाथ, जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	237/1 238/1	0.114 0.493	0.000 0.000	0.114 0.493	0.114 0.493
	<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0.607</b>	<b>0.000</b>	<b>0.607</b>	<b>0.607</b>
51	तंवरलाल, विक्रमसिंह पिता कुमरसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी	75/1	0.057	0.000	0.057	0.057
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.057</b>	<b>0.000</b>	<b>0.057</b>	<b>0.057</b>
52	रामरतन, जगन्नाथ पिता किसना हि.36 पैसे भंवरलाल, रामबगस आ.धूल्या, सम्पत बैवा धूल्या हि.33 पैसे रामबगस, रामबाबू, गोरधन पिता गंगाधर, जगदीश, सोनू पुत्र रामबगस हि.34 पैसे जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	162	0.025	0.000	0.025	0.025
	<b>योग</b>	<b>1</b>	<b>0.025</b>	<b>0.000</b>	<b>0.025</b>	<b>0.025</b>
53	अमरसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी	147/1/4 160/1 204 224/1 226/2 144/1/3 203/4	0.019 0.132 0.164 0.190 0.234 0.026 0.044	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.019 0.132 0.164 0.190 0.234 0.026 0.044	0.019 0.132 0.164 0.190 0.234 0.026 0.044
	<b>योग</b>	<b>3</b>	<b>0.809</b>	<b>0.000</b>	<b>0.809</b>	<b>0.809</b>



	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	सोमनाथ पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी	147/1/3	0.019	0.000	0.019	0.019
		146/2	0.121	0.000	0.121	0.121
		224/4	0.190	0.000	0.190	0.190
		226/1	0.234	0.000	0.234	0.234
		144/1/2	0.025	0.000	0.025	0.025
		203/3	0.210	0.000	0.210	0.210
	योग	6	0.799	0.000	0.799	0.799
55	तैवरलाल, बलरामसिंह पिता भैवरलाल मुं. रतन कँवर जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.स्वामी	147/1/1	0.019	0.000	0.019	0.019
		144/1/1	0.025	0.000	0.025	0.025
		225/1/3	0.086	0.000	0.012	0.012
		200	0.215	0.000	0.107	0.107
		203/1	0.018	0.000	0.018	0.018
	योग	5	0.363	0.000	0.181	0.181
56	रामचन्द्र, पिता जगन्नाथ, जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	236/1/2	0.453	0.453	0.000	0.453
	योग	1	0.453	0.453	0.000	0.453
	ग्राम पीपलबे जागीर का महायोग	154	31.836	7.316	13.545	20.861

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

### प्रारंभिक अधिसूचना

क्र. 393-भू-अर्जन-2016

खरगोन, दिनांक 10 जून 2016

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु आंशिक भूमि के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सार प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है।

#### —: अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगावाँ	निमवाडी	वन परिक्षेत्र खरगोन के कक्ष क्रमांक-657 की दिनांक 13.12.2005 तक अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम - 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त वनभूमि है। क्षेत्रफल 0.597 हे०	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 भीकनगांव	अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य हेतु

नोट :—(1)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना खरगोन, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

(2)

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक 6-एमपीसी 19/2005/बीएचओ/1333, दिनांक 24.07.2006 के द्वारा अपरवेदा परियोजना के नहर निर्माण के उपयोग की स्वीकृति निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 1573-री-1-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13

मन्दसौर, दिनांक 20 मई 2016/13 जून 2016

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की निचे दि गई अनुसूची -1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची :- 1

- (1) भूमि का वर्णन :-
- (क) जिला मन्दसौर :-  
(ख) तहसील गरोट :-  
(ग) ग्राम खारखेडा :-  
(घ) लगभग क्षेत्रफल :- 0.600 हेक्टर

अनुसूची:- 2

क	प्रभावित कृषक नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1)	2)	3)	4)	5)	6)
1	बद्रीलाल पिता गमेर व रामकन्याबाई पति बद्रीलाल बलाई निवासी खारखेडा	2/1	0.500	0.000	0.200
2	अवन्ताबाई पति शंकरसिंह सोधिया राजपूत निवासी कोटडाखुर्द	2/13	0.200	0.200	0.000
3	कालूराम पिता दौलतराम बलाई निवासी खारखेडा	2/1	0.500	0.000	0.200
योग:-		कुल कित्ता 03	1.200	0.200	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पोलाडुगर पहुंच मार्ग योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोट के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1577-री-1-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 04-अ-82-2015-16 :-

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की निचे दि गई अनुसूची -1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

-अतः भू-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

**अनुसूची :- 1**

- (1) भूमि का वर्णन:- (क) जिला मन्दसौर :-  
 (ख) तहसील शामगढ :-  
 (ग) ग्राम देवरी :-  
 (घ) लगभग क्षेत्र फल :- 0.790 हैक्टर

**अनुसूची:- 2**

क	प्रभावित कृषक नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अमरसिंह पिता नाथुसिंह सोधिया राजपूत निवासी देवरी	73	3.040	0.000	0.180
2	बद्रीसिंह पिता मांगीलाल व राजाबाई बैवा मांगीलाल सो0रा0 निवासी देवरी	68/7	0.650	0.000	0.140
3	हरीसिंह पिता उकारसिंह सो0रा0 निवासी देवरी	98	0.720	0.000	0.140
4	शंकरसिंह पिता भंवरसिंह सो0रा0 निवासी देवरी	241	2.000	0.000	0.140
5	श्यामसिंह पिता हुकुमसिंह बडवा निवासी देवरी	127/1	0.210	0.000	0.160
6	गोपालसिंह पिता बद्रीलाल बडवा निवासी देवरी	127/2	0.200	0.030	0.000
योग:-		6.820	6.820	0.030	0.760

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टकरावद से देवरी हरीपुरा पहुंच मार्ग योजना.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 4828-भू-अर्जन-2016

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 जून 2016

चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(2) चूँकि, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263 भोपाल दिनांक 25.09.2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-भुतेरा, पोह0न-31/42, ब.न.-435, रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा-1, तहसील- छिन्दवाड़ा,	रकबा 0.729 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (3.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (5.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पैच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पैच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1 सिंगना तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (7.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, कृषि उपज मण्डी 178-छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्र. 280-मण्डी-अध्यक्ष निर्वा.-2016.—जिले की स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लेखित अध्यक्ष पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण रिक्त अध्यक्ष पद के निर्वाचन सम्मिलन के दिनांक 18 अप्रैल 2016 को स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं। अतः, मैं, डी. पी. द्विवेदी, पीठासीन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 178, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12(9) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 84 (20) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ :—

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक-नाम	सम्मिलन का दिनांक	अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	178-छतरपुर	18-4-2016	श्री बृजेश सिंह राय, निवासी वैद्य मार्ग, छतरपुर

डी. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पीठासीन अधिकारी (मण्डी)।

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ-1-57-स्था.-प्र.रा.आ.-2016-51.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला उज्जैन में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है:—

स. क्र. (1)	राजस्व निरीक्षक का नाम (2)
1.	श्री आलोक चौरे
2.	श्री शेखर बापट
3.	श्री कन्हैयालाल मिश्र
4.	श्री हरिचरण शुक्ला
5.	श्री मूलचंद जूनवाल
6.	श्री रामकलेश साकेत
7.	श्री यादवेन्द्रमनी त्रिपाठी
8.	श्री रमेश पाण्डे
9.	श्री राकेश मित्तल
10.	श्री दयाराम निगम
11.	श्री मदनलाल उईके
12.	श्री वंशीलाल पाटीदार

### (2) शर्तें.—

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे. यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.
2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.
3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निवहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.
4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.
5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.
6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.
7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 5117-प्रवा-2016.—

राजगढ़, दिनांक 9 जून 2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची :—

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कुशलपुरा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	पर्वतसिंह पिता उंकार जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/1/4	1.012	0.000	0.432	0.432
योग :-		1	1.012	0.000	0.432	0.432
2	अमरसिंह पिता मोहनलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/10	1.765	0.000	0.780	0.780
योग :-		1	1.765	0.000	0.780	0.780
3	रामचंद्र, सुगनबाई पिता सालगराम अनोखबाई पति सालगराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	5/7	1.747	0.735	0.000	0.735
योग :-		1	1.747	0.735	0.000	0.735
योग (कुशलपुरा) :-		3	4.524	0.735	1.212	1.947
गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रोजड़खुर्द						
1	धीरपसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1/1	2.000	0.600	0.000	0.600
योग :-		1	2.000	0.600	0.000	0.600
2	भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	21/3/2	1.000	0.600	0.000	0.600
योग :-		1	1.000	0.600	0.000	0.600
3	कालू पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/3/1	0.843	0.543	0.000	0.543
योग :-		1	0.843	0.543	0.000	0.543
4	ललताबाई बैवा मांगीलाल विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	13/3/3	0.843	0.543	0.000	0.543
योग :-		1	0.843	0.543	0.000	0.543
5	मोहनबाई पति सजनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/7	2.529	0.900	0.000	0.900
योग :-		1	2.529	0.900	0.000	0.900
6	मांगीलाल पिता करणसिंह जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी	12/9	2.529	0.590	0.000	0.590
योग :-		1	2.529	0.590	0.000	0.590



क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
7	मांगीलाल पिता गब्बा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	33/2/2	0.843	0.700	0.000	0.700
	योग :-	1	0.843	0.700	0.000	0.700
8	गोकूलबाई पति बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	2/1/2/2	0.910	0.515	0.000	0.515
	योग :-	1	0.910	0.515	0.000	0.515
9	हरिसिंह पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	10/1/2	1.404	0.800	0.000	0.800
	योग :-	1	1.404	0.800	0.000	0.800
10	नारायणसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	3/2/2	0.285	0.280	0.000	0.280
	योग :-	1	0.285	0.280	0.000	0.280
11	प्यारा पिता हरलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	22/15	0.347	0.347	0.000	0.347
	योग :-	1	0.347	0.347	0.000	0.347
12	घीसीबाई बैवा नारानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	12/1/3/2	2.000	0.627	0.000	0.627
	योग :-	1	2.000	0.627	0.000	0.627
	योग (रोजड़खुर्द) :-	12	15.533	7.045	0	7.045
गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम दलेलपुरा						
1	रामप्रसाद पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	316	0.417	0.417	0.000	0.417
		317	0.253	0.253	0.000	0.253
	योग :-	2	0.670	0.670	0.000	0.670
	योग (दलेलपुरा) :-	2	0.670	0.670	0.000	0.670
	महायोग :-	17	20.727	8.450	1.212	9.662

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 1706-भू-अर्जन-16-प्र.क्र.02-अ-82-2015-16

रतलाम, दिनांक 24 जून 2016

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की मुख्य (अनाज) मंडी प्रांगण (महू-नीमच रोड रतलाम) पर स्थित प्रांगण के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के नीचे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

:: अनुसूची ::

कस्बा रतलाम पटवारी हल्का नम्बर 32—

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता / पति का नाम तथा पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मोहम्मद अशरफ पिता अब्दुल हमीद सेफुल्ला पिता अकरम इरफान पिता हारूनखान सादाव पिता अमीनखान खुसरोखान पिता मोहम्मद जमाली मोहम्मद ईस्माईल पिता इब्राहीमखान जाति मुसलमान नि. रतलाम.	1052/1	0.040	-	0.040
2.	कामेश्वरनाथ पिता रामेश्वरनाथ जाति अग्निहोत्री ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मीना पति कामेश्वरनाथ जाति अग्निहोत्री ब्राह्मण निवासी रतलाम.	1057	0.500	-	0.500
3.	मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आसीफ मोहम्मद तारीफ पिता मोहम्मद हनीफखां, जाति शैरानी निवासी रतलाम.	1058	0.400	-	0.400
4.	एहसान खॉं पिता अब्दुलतीखॉं जाति शैरानी पता नि. रतलाम जयेश कुमार वरूणकुमार नावा पिता पुरुषोत्तमसर पिता पुरुषोत्तम पिता भागचन्द, मोहम्मद सिद्दीक पिता मोहम्मद जुनेद अंसारी नि. 12 मोमिनपुरा रतलाम. कु. आई. वी. नलिन जेम्स पिता रणजीतसिंह ईसाई नितेश पिता संतोष चावला पता निवासी रतलाम लीलाधर पिता भागचन्द चावला निवासी रतलाम.	1064/1	0.140	-	0.140
5.	अनुसूया पति मदनभाई जाति देसाई नि. रतलाम	1064/4	0.050	-	0.050
6.	मुस्तफा पिता नजमुद्दीन जाति बोहरा नि. रतलाम	1064/5	0.050	-	0.050
7.	शरदकुमार महेन्द्रकुमार पिता मोहनलाल बट्टीलाल पिता भेरूलाल जाति पाटिदार निवासी रतलाम.	1064/1 /1	0.030	-	0.030
8.	इकबाल हुसैन पि. हाजीमोह उद्दीनकनीजाबाई पति इकबाल हुसैन बोहरा रावटी वालाजुहर पि. इकबाल हुसैन नि. रतलाम.	1064/3	0.200	-	0.100
9.	अब्दुलरसीदखॉं, मोह. एहसानखॉं, मोहम्मद अनवर खॉं, मोह. अनवरखॉं. मोहम्मद हाजी वाजीदखॉं पिता अब्दुल नि. रतलाम.	1072/1	0.740	-	0.740
10.	नाथूलाल पिता अम्बराम जाति पाटीदार निवासी रतलाम.	1072/2	0.200	-	0.200
11.	विवेक कुमार पिता शांतिलाल पितलिया राकेश कुमार पिता विजय कुमार अग्रवाल निवासी रतलाम योगेश पिता सोमनाथ तिवारी निवासी रतलाम.	1078/1	0.500	-	0.500

12	देवेन्द्रकुमार संजयकुमार पिता मणीलाल उगमदेवी विधवा मणीलाल जैन चॉदनीचौक रतलाम, तुराबली पिता इब्राहिम बोहरा, हेदरअली पिता नजमुद्दीन बोहरा, नि.बोहरा बाखल रतलाम	1063/2	0.360	—	0.360
13	मेसर्स शुभम कंस्ट्रक्शंस द्वारा राजेन्द्र पिता शांतिलाल पितलिया	1063/1	0.200	—	0.200
		1063/3	0.300	—	0.300
		1063/4	0.200	—	0.200
		1063/5	0.110	—	0.110
		/1	0.090	—	0.090
		1063/5	0.200	—	0.200
		/2	0.175	—	0.175
		1063/6	0.175	—	0.175
		1063/7			
		1063/8			
		योग	1.450		1.450
<b>निजी भूमि का कुल रकबा</b>					
			<b>4.710</b>		<b>4.710</b>
14	नाला शासकीय, मध्य प्रदेश शासन	1042	0.150	—	0.150

(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 मार्च 2016

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र.-55-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जरमोहरा	3.361	कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा, शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 मई 2016

क्र. 172-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान.	अकौनी कोठार	2.003	कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा, शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 094-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	इमलिया	निजी भूमि रकबा 3.900 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.175 है. कुल रकबा 4.075 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 13 जून 2016

प्र. क्र. 1-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	भिण्ड	सिमराव	183 0.11 185 0.42 186 0.15 187 0.07 188 0.20 189 0.05 194 0.08 07 1.08	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, निर्माण संभाग, ग्वालियर.	सिमराव-कमई मार्ग में क्वारी नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जून 2016

क्र. 1627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिसार	0.141	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चर्चाई वितरक नहर के भिटावा सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1629-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	मोहरवा कोठार.	0.240	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चर्चाई वितरक नहर की मोहरवा सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1631-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भिटवा	3.000	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चर्चाई वितरक नहर की भिटवा सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2-ए, भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	डोंगरियाटोला	8.833	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	साही जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा2ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	तितरा	2.249	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	साही जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2-ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	मोहतरा	0.483	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	साही जलाशय योजना के नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2-ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-



## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (11) की उपधारा (2)	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	खैरहनी	3.470	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	शाही जलाशय योजना के नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2-ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2)	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	साही	26.894	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	साही जलाशय योजना के बांध का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ल. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 जून 2016

प. क्र. 5985-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	रामखैरी	0.78	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 28.			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 5997-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बगहाई	2.22	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 28		बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 5998-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	देवरी मुल्ला	1.41	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 40		बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6002-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	आमानाला	0.19	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 32		बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6003-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.	धनौराखुर्द प.ह.नं. 24	1.99	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6005-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.	बम्होड़ी प.ह.नं. 27	3.18	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6006-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.	हरदुली प.ह.नं. 41	0.1.35	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6007-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	पल्ला	1.49	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 24			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6008-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बोरिया	0.16	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 40			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6011-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	सुकवाह	1.86	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 40			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6012-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	घटेरी	4.39	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 30			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6013-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बगलई	1.862	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 49			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6014-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	कुड्डो	0.31	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.
	रा.नि.मं. धनौरा.	प.ह.नं. 24			

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6015-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.	रावठान प.ह.नं. 30	3.54	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6016-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा. नि. मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.	बाम्हनवाड़ा प.ह.नं. 39	3.30	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी.	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 053-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम—गौरा, प.ह.नं. 12

(घ) क्षेत्रफल—2.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
61	0.040	निजी भूमि
258/1	0.020	निजी भूमि
60	0.120	निजी भूमि
4	0.220	निजी भूमि
5	0.050	निजी भूमि
9	0.070	निजी भूमि
8	0.120	निजी भूमि
24	0.120	निजी भूमि
54	0.120	निजी भूमि
26	0.120	निजी भूमि
40	0.150	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
38	0.100	निजी भूमि
36	0.020	निजी भूमि
35/1	0.040	निजी भूमि
34	0.050	निजी भूमि
33	0.050	निजी भूमि
259	0.030	निजी भूमि
261	0.070	निजी भूमि
297	0.020	निजी भूमि
296	0.050	निजी भूमि
295	0.040	निजी भूमि
294	0.100	निजी भूमि
469	0.170	निजी भूमि
470	0.050	निजी भूमि
546	0.070	निजी भूमि
545/1	0.010	निजी भूमि
544/1/kh	0.030	निजी भूमि
543/1/kh	0.004	निजी भूमि
545/2	0.010	निजी भूमि
544/1/ka	0.030	निजी भूमि
543/1/ka	0.003	निजी भूमि
505	0.090	निजी भूमि
544/2	0.020	निजी भूमि
543/2	0.003	निजी भूमि
542	0.090	निजी भूमि
258/2	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि.	2.320	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 052-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान

हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—सिमरा बहादुर, प.ह.नं. 58

(घ) क्षेत्रफल—25.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
479	0.14	निजी भूमि	456	0.20	निजी भूमि
483/1	0.06	निजी भूमि	450	0.15	निजी भूमि
483/2	0.06	निजी भूमि	449	0.72	निजी भूमि
477/1	0.12	निजी भूमि	437/1	0.48	निजी भूमि
477/2	0.36	निजी भूमि	437/2	0.48	निजी भूमि
477/3	0.36	निजी भूमि	437/3	0.48	निजी भूमि
475/1	0.25	निजी भूमि	439	0.34	निजी भूमि
475/2	0.28	निजी भूमि	435/2	0.41	निजी भूमि
474	0.38	निजी भूमि	432	0.03	निजी भूमि
473/1	0.12	निजी भूमि	429	0.06	निजी भूमि
470/1	0.12	निजी भूमि	430	0.01	निजी भूमि
470/2	0.03	निजी भूमि	431	0.50	निजी भूमि
469/1	0.38	निजी भूमि	94	0.03	निजी भूमि
469/2	0.38	निजी भूमि	93/1	0.10	निजी भूमि
468/1	0.01	निजी भूमि	93/2	0.16	निजी भूमि
468/2	0.01	निजी भूमि	93/3	0.16	निजी भूमि
468/3	0.01	निजी भूमि	99	0.07	निजी भूमि
468/4	0.01	निजी भूमि	100/2	0.06	निजी भूमि
465/1	0.11	निजी भूमि	91	0.70	निजी भूमि
465/2	0.10	निजी भूमि	87	0.85	निजी भूमि
465/3	0.11	निजी भूमि	85	0.01	निजी भूमि
465/4	0.11	निजी भूमि	39	1.00	निजी भूमि
463	0.43	निजी भूमि	38	0.10	निजी भूमि
458	0.78	निजी भूमि	23	0.05	निजी भूमि
			22	0.48	निजी भूमि
			21	2.00	निजी भूमि
			15	0.70	निजी भूमि
			16	0.03	निजी भूमि
			3	0.19	निजी भूमि
			563/20	0.17	निजी भूमि
			20	0.62	निजी भूमि
			19	0.01	निजी भूमि
			26	0.42	निजी भूमि
			27	0.48	निजी भूमि
			28	0.02	निजी भूमि
			29	0.11	निजी भूमि
			31	0.28	निजी भूमि
			32	0.04	निजी भूमि
			33	0.05	निजी भूमि
			52	0.74	निजी भूमि
			53	0.14	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
62	0.08	निजी भूमि	118	0.18	निजी भूमि
63	0.91	निजी भूमि	108	0.13	निजी भूमि
59	0.02	निजी भूमि	105	0.09	निजी भूमि
66	0.54	निजी भूमि	25	0.15	निजी भूमि
67	0.03	निजी भूमि	35	0.02	निजी भूमि
68	0.87	निजी भूमि	107	0.01	निजी भूमि
40	0.70	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि. . .		25.44
41	0.90	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.		
37/1	0.05	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.		
37/2	0.08	निजी भूमि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
24	0.07	निजी भूमि	कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
65	0.70	निजी भूमि			
440/1	0.01	निजी भूमि	रीवा, दिनांक 7 जून 2016		
440/2	0.01	निजी भूमि	क्र. 1580-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		
440/3	0.03	निजी भूमि	अनुसूची		
428	0.01	निजी भूमि			
434	0.02	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
459	0.12	निजी भूमि	(क) जिला—रीवा		
454	0.03	निजी भूमि	(ख) तहसील—जवा		
417	0.04	निजी भूमि	(ग) ग्राम—नगमा कोठार		
411	0.10	निजी भूमि	(घ) क्षेत्रफल—2.403 हेक्टेयर.		
412	0.08	निजी भूमि	खसरा नंबर		
413	0.01	निजी भूमि	अर्जित रकबा		
410	0.01	निजी भूमि	(हे. में)		
407	0.03	निजी भूमि	(1)		
406	0.01	निजी भूमि	(2)		
405	0.12	निजी भूमि	अ-निजी पट्टे की भूमि		
308	0.01	निजी भूमि	157	0.052	
356	0.07	निजी भूमि	162	0.002	
357	0.04	निजी भूमि			
341	0.04	निजी भूमि			
342	0.02	निजी भूमि			
340	0.01	निजी भूमि			
362	0.08	निजी भूमि			
367	0.10	निजी भूमि			
379	0.11	निजी भूमि			
380	0.09	निजी भूमि			
383	0.15	निजी भूमि			
391	0.01	निजी भूमि			
113	0.15	निजी भूमि			
112	0.05	निजी भूमि			



(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		
241	0.064	-	क्र. 1584-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-		
248	0.026	-	<b>अनुसूची</b>		
249	0.090	-	(1) भूमि का वर्णन—		
254	0.032	-	(क) जिला—रीवा		
273	0.064	-	(ख) तहसील—त्योथर		
274	0.036	-	(ग) ग्राम—फूल देउर		
276	0.096	-	(घ) क्षेत्रफल—8.904 हेक्टेयर.		
308	0.064	-	खसरा नंबर		
309	0.085	-	अर्जित रकबा (हे. में)		
311	0.066	-	निजी भूमि		
316	0.130	-	शासकीय भूमि		
317	0.006	-			
321	0.144	-			
323	0.062	-			
325	0.212	-			
328	1.088	-			
402	0.230	-			
407	0.243	-			
416	0.352	-	(1)	(2)	(3)
512	0.060	-	22	0.145	-
513	0.220	-	30	-	0.90
515	0.064	-	50	0.700	-
516	0.115	-	51	0.165	-
517	0.016	-	52	0.105	-
521	0.016	-	55	0.649	-
532	0.128	-	56	0.537	-
539	0.036	-	58	0.470	-
540	0.094	-	61	-	0.292
541	0.190	-	62	-	0.221
542	0.060	-	63	0.228	-
553	0.115	-	64	0.020	-
557	0.134	-	65	0.113	-
558	0.416	-	71	0.302	-
562	0.144	-	72	0.302	-
567	0.048	-	73	-	0.121
76	0.096	-	74	0.062	-
178	0.102	-	78	0.442	-
238	0.080	-	80	0.623	-
531	0.040	-	81	0.101	-
	योग .9.437		82	0.023	-
			84	0.007	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
85	0.067	-	637	0.070	-
86	0.158	-	643	0.050	-
87	0.346	-	713	0.422	-
88	0.392	-			
89	0.100	-		योग . . . 1.322	
94	0.125	-			
95	0.044	-			
100	1.630	-			
103	-	0.192			
112	0.046	-			
114	0.006	-			
115	0.070	-			
29	-	0.010			
	योग . . . 8.904				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1588-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—महुली  
(घ) क्षेत्रफल—3.224 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
9	0.002	
11	0.342	
48	0.264	
55	0.144	
56	0.192	
61	0.192	
65	0.147	
66	0.252	
71	0.034	

क्र. 1586-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—रामपुर कोठार  
(घ) क्षेत्रफल—1.322 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
98	0.720	-
636	0.060	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
72	0.114		9	0.036	-
73	0.120		10	0.055	-
76	0.300		11	0.015	-
78	0.084		12	0.168	-
83	-	0.032	13	0.186	-
86	0.201		19	0.045	-
88	0.132		22	0.180	-
90	0.003		23	0.348	-
91	0.156		25	0.086	-
92	0.204		योग . .	<u>1.288</u>	
93	0.186				
95	0.006				
165	0.075				
63	0.042				
योग . .	<u>3.224</u>				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1590-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—घोरहा 163  
(घ) क्षेत्रफल—1.288 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
2	0.162	-
4	0.007	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1592-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—घोरहा 164  
(घ) क्षेत्रफल—1.050 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
3	0.220	-
4	0.206	-
5	0.138	-
6	0.468	-
23	0.018	-
योग . .	<u>1.050</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1594-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—त्योथर  
(ग) ग्राम—गोंद खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल—8.491 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
8	0.332	
9	1.008	
10	0.486	
14	1.045	
37	0.150	
38	0.190	
39	0.056	
40	0.143	
41	0.251	
43	-	0.040
44	0.012	
47	0.181	
48	0.080	
49	0.210	
50	0.045	
51	0.060	
52	0.063	
80	1.122	

(1)	(2)	(3)
82	0.243	
83	0.318	
144	0.450	
145/2	0.157	
145/3	0.080	
145/5	0.187	
145/6	0.117	
146/2	0.018	
146/3	0.067	
146/4	0.185	
146/5	0.010	
197	0.008	
198	0.090	
199	0.637	
200/1	0.150	
200/2	0.150	
200/3	0.150	
योग . .	8.491	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 जून 2016

क्र. 1623-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—अमरकच्छ	(1)	(2)	(3)
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.04 हेक्टेयर.	304		0.132
खसरा नंबर	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
अ-निजी पट्टे की भूमि	353		0.132
336	0.04		0.028
योग . .	0.04		0.024
ब. शासन की भूमि	722		0.024
योग अ + ब	354		0.009
योग . .		योग . .	0.750

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “चचाई वितरक नहर की पटना माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

ब. शासन की भूमि  
योग अ + ब  
योग . .

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “चचाई वितरक नहर की पटना माइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1625-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सेमरिया  
(ग) ग्राम—पटना  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.750 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा
(1)	(हे. में)
(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि	
299	0.038
300	0.034
301	0.067
302	0.016
303	0.085

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 22-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—मानपुरा

(घ) क्षेत्रफल—2.950 हेक्टेयर.

## हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण

हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन

## सूची

नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र में का रकबा	रिमार्क (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हरसी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	158	1.370	0.410	
	163	0.620	0.180	
	80	0.710	0.010	
	88	0.650	0.130	
	157	1.940	0.340	
	160	1.120	0.090	
	161	0.960	0.390	
	162	0.450	0.190	
	184	0.180	0.050	
	89	0.630	0.350	
	91	0.080	0.020	
	92	0.360	0.140	
	93	0.310	0.160	
	95	0.730	0.220	
	90	0.490	0.020	
	182	0.490	0.070	
	183	0.380	0.140	
	164	1.460	0.020	
	147	1.280	0.020	
	योग . .		2.950	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 8 जून 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—जतर्धी  
(घ) क्षेत्रफल—0.209 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
464	0.077
340	0.132
योग . .	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—डोंगरपुर  
(घ) क्षेत्रफल—0.373 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
919 मिन	0.081
933/1	0.087
96 मिन	0.205
योग . .	0.373



- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 04-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—भितरवार  
(ग) ग्राम—चिटौली  
(घ) क्षेत्रफल—0.885 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
36	0.759	0.237
7/1/1 मिन 1	0.418	
7/1/1/ मिन 2	0.418	
7/1/1/ मिन 3	0.627	
7/1/1 मिन 4	0.418	
7/1/1 मिन 5	0.418	
7/1/1 मिन 6	0.627	0.648
7/1/1 मिन 7	0.418	
7/1/1/ मिन 8	0.627	
7/1/2	0.613	
7/1/3 क	0.195	
7/1/3 ख	0.418	
7/1/4	0.613	
7/1/5	0.613	
7/2	1.000	

योग . . . 0.885

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 13 जून 2016

क्र.-235-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—बिकरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.321 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/2	0.354
6/2	0.021
7/2	0.240
7/1	0.024
8/3	0.032
9/1	0.049
9/3	0.309
11/1	0.258
11/2	0.027
11/3	0.027
11/4	0.028
11/5, 10/2	0.027
11/6	0.025
11/7	0.028
11/8	0.028
11/9	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
11/10	0.028	300/2	0.515
11/11	0.028	314	0.554
11/12	0.028	315/1	0.194
11/13	0.028	315/2	0.026
11/14	0.014	315/3	0.026
11/15	0.028	315/4	0.026
11/16	0.028	315/5	0.026
13	0.032	315/6	0.026
14/1/2	0.020	315/7	0.026
14/1/3	0.020	315/8	0.026
14/1/4	0.020	321	0.334
15/1क/2	0.018	468/1	0.247
15/1क/3	0.022	470/1	0.048
15/1क/4	0.022	481	0.694
15/1क/5	0.026	545/1	0.528
15/1क/6	0.023	550	0.014
15/1क/7	0.022	551	0.021
15/2/ख	0.395	552/2	0.250
14/2	0.012	273/2	0.018
69/2क	0.162	273/3	0.018
69/2ख	0.373	273/4	0.018
70/1	0.036	273/5	0.018
70/2	0.020		
68/2क/1	0.008		योग . . . 10.321
71	0.024		
72	0.004		
82/4	0.374		
82/5	0.249		
84	0.360		
85/2	0.037		
86/2	0.140		
262	0.397		
264/1क/1/1	0.974		
273	0.006		
274	0.381		
275	0.065		
276/2	0.072		
277	0.042		
293/2	0.063		
299/1	0.008		
300/1	0.554		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-236-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—रेरुवा कला		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.539 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
333/2	0.439	154	0.010
330/1	0.120	153	0.010
330/2	0.030	152	0.009
330/3	0.030	151	0.024
330/4	0.030	150	0.052
330/5	0.030	149	0.042
328	0.156	148	0.027
327	0.077	147	0.009
319/1/1	0.091	148/675/1	0.019
319/2/1/3	0.235	262/2	0.261
319/2/2	0.236	143/1	0.169
318/2/3	0.015	142/2	0.242
317/1/2	0.187	140/2/क	0.106
316/1/2	0.047	140/2/ख	0.100
316/2	0.016	140/2/ग	0.100
315	0.004	39/1ख	0.298
267	0.028	39/1/क/1	0.180
266	0.069	43	0.505
265	0.209	48/2	0.123
264/1	0.063	48/1	0.084
262/1क	0.261	44/2	0.022
261/1क	0.003	46/3	0.019
260/2	0.033	44/678	0.016
260/1ग	0.033	47/2	0.028
260/1क	0.033	45/1	0.115
259/1क	0.006	260/1/ख	0.033
234	0.042	45/2	0.028
231/1क	0.127	262/1/क/2	0.027
230/1	0.021	262/1/क/4	0.027
229/1	0.044	262/1/क/3	0.027
229/2	0.019	262/1/क/5	0.027
229/3	0.019		
230/3	0.013		
155	0.034		
			योग . . . 5.539

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
क्र.-237-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:—	256/1	0.059
	256/2	0.100
	153/1क	0.115
	255	0.105
	118	0.166
	123	0.036
	122	0.021
	258	0.280
	119	0.004
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)	355	0.154
(क) जिला—सतना	356/1	0.775
(ख) तहसील—नागौद	357/1	0.055
(ग) नगर/ग्राम—डाम्हा	260/1क	0.057
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.428 हेक्टेयर.	261/1ख	0.400
खसरा नं.	260/1/ख	0.199
	261/1/ग	0.100
(1)	260/2/2	0.035
172/2	0.400	
172/1	0.041	261/2/3
173/2	0.013	260/2/3
172/2ख1	0.030	261/2/4
171/2	0.030	100
172/2ख3	0.030	105
171/2ख/4/2	0.008	104/2
171/2ख/4/3	0.010	101/1
171/2ख/4/4	0.010	116
171/2ख/4/5	0.010	104/1
171/1अ	0.110	104/3
185क	0.038	101/2
184क	0.105	104/4
185ख	0.042	103
184ख	0.054	102
170	0.190	262
186	0.003	263
165	0.171	88/1
169	0.015	352
411/1/2/अ/2	0.200	88/2
164	0.162	348/2/3
166	0.070	88/3
254/1	0.073	350
254/2	0.033	351
		348/2/1
		0.535

(1)	(2)	(1)	(2)
349/2	0.090	422/1ब/2	0.030
353	1.230	422/1ग/2/1	0.017
354	0.049	422/1ख/2/2	0.016
378	0.330	422/1ख/2/3	0.016
377	0.892	422/1ख/2/4	0.017
374/1	0.007	422/1ख/2/5	0.016
375/1क	0.005	422/1ख/2/6	0.019
376/1	0.223	422/1ख/2/7	0.014
374/2	0.010	420	0.120
375/1/2	0.324	411/1/1अ	0.140
376/2	0.223	411/1/2अ/1	0.027
374/3	0.011	411/1/2अ/3/2	0.165
375/1/3	0.323	411/1/2अ/3/3	0.150
376/3	0.223	416/1	0.089
375/2	0.209	411/1/ब	0.250
372	0.792	412/1	0.214
370	0.004	413	0.420
371	0.047	171/2/ख/4/1	0.028
392/2	0.010	171/2/क	0.005
393/2/क	0.480	117	0.031
393/1	0.767	106	0.015
394/2ख	0.405	97	0.011
394/1	0.084	99	0.042
397/2	0.220		योग . . . 22.428
394/2क	0.700		
398/2	0.286		
399/1	0.107		
400/1	0.260		
399/2/1	0.212		
399/2/2	0.044		
400/2/1	0.138		
400/2/2	0.182		
400/2/3	0.181		
397/1	0.574		
402/2/4	0.390		
402/2/3	0.022		
402/2/11	0.068		
421/1	0.304		
423/1	0.005		
422/2	0.152		
422/3	0.200		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-239-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(1)	(2)	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—इटमा बधेलान		17	0.248
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.447 हेक्टर.		16	0.020
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	153	0.040
			योग . . 4.447

(1)	(2)
180/2	0.285
179/1/क/1	0.105
179/1/क/2	0.026
179/1/क/3	0.026
179/1/क/4	0.026
179/1/क/5	0.023
179/1/क/6	0.026
179/1/क/7	0.026
179/1/क/8	0.026
179/1/ख/1/ख	0.100
154/1	0.043
154/2	0.117
156	0.321
96/1	0.277
96/2	0.219
104	0.020
81/1/घ	0.020
81/1/ङ	0.188
80/1	0.056
80/3	0.032
80/2/1	0.022
80/2/2	0.025
80/2/3	0.025
79/2/	0.146
71/1	0.130
71/2	0.476
70/1	0.010
70/2	0.010
29/1/क	0.241
29/1/ख	0.010
29/2/क	0.376
29/2/ख	0.020
29/2/ग	0.167
30/2/क	0.021
22	0.256
21	0.014
19	0.113
18	0.115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-240-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मझगवां  
(ग) नगर/ग्राम—कूड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.747 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	1.256
148	0.170
149/1	1.862
149/2	0.319
10/3	0.140
	योग . . 3.747

क्र.-241-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—पिण्डरा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.887 हेक्टर.		55/1	0.058
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	2137	0.054
(1)	(2)	81	0.051
3582	0.100	79	0.026
3593	0.168	70/1	0.070
3590/5/क	0.332	80	0.069
3590/5/ख	0.476	70/2	0.061
2172	0.026	90	0.107
2844	0.152	91	0.016
2174	0.040	75	0.128
2175	0.108	130	0.038
2177	0.006	127	0.016
2176	0.032	131	0.128
2178	0.076	126/1	0.045
2180	0.056	126/3	0.080
2181	0.092	164/2	0.006
2182	0.188	167/2/ब	0.044
2164	0.256	148	0.061
31	0.168	147	0.125
25/1/ग	0.132	160	0.022
25/1/डी	0.138	157	0.010
24/1	0.097	159	0.040
24/2	0.048	161	0.100
23/1	0.070	166/1	0.028
23/3	0.026	166/2	0.080
23/2	0.005	167/1	0.148
19	0.192	201/2	0.096
17	0.038	201/1/क	0.044
96	0.004	180/2	0.088
97	0.004	195	0.008
18/1	0.061	198	0.160
16	0.070	196	0.080
28	0.025	192	0.046
39	0.029	211	0.128
15	0.051	191	0.060
14	0.122	276/2	0.088
13	0.061	277/2	0.040
54	0.104	277/1	0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
281	0.028	788	0.011
282	0.128	708	0.070
368	0.100	716	0.042
369	0.056	720	0.064
374	0.013	728	0.112
367	0.006	726	0.030
366	0.128	727	0.052
365	0.300	723	0.028
364	0.012	738	0.009
363	0.168	786	0.036
346	0.016	787	0.044
362	0.092	785	0.028
429	0.350	784	0.028
430	0.055	779	0.028
591	0.758	778	0.020
593	0.787	777	0.054
655	0.218	776	0.016
652	0.234	982	0.052
632	0.045	981	0.050
633	0.022	987	0.030
630	0.045	988	0.100
626	0.045	962	0.026
625	0.045	960	0.048
674	0.045	954	0.056
675	0.042	961	0.020
676	0.083	948	0.042
677	0.086	958	0.010
679	0.008	949	0.010
678	0.013	950	0.046
707	0.014	951	0.016
712	0.005	3565	0.169
714	0.030	3593/3/ख	0.380
715	0.004	50	0.088
713	0.050	49	0.024



(1)	(2)	(1)	(2)
48	0.040	1997	0.038
2138	0.0144	2492	0.080
2145	0.045	2494	0.05
2142	0.014	2495	0.084
2141	0.029	2496	0.124
2332	0.082	1857	0.184
2333	0.006	1860	0.016
2334	0.053	2007	0.014
2336	0.076	2447	0.008
2337	0.026	588	0.062
2133	0.025	589	0.048
2131	0.046	590	0.038
2130	0.032	801	0.006
2069	0.014	640	0.045
2071	0.080	283	0.013
2072	0.018	217	0.076
2067	0.016	218	0.052
2054	0.092	3583	0.024
2053	0.100	3584	0.096
2050	0.016	3589	0.093
2042	0.086	3573	0.34
2037	0.040	3574	0.016
2443	0.006	111	0.019
2444	0.016	2441	0.008
2040	0.022	2018	0.008
2448	0.018	2338	0.05
2449	0.016		योग . . 14.887
2013	0.044		
2011	0.020		
2008	0.042		
2009	0.008		
2005	0.034		
2000	0.038		
1998	0.048		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—कुरी बांध-2 की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक-एफ-3-64/2013/32:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/64/2013/32, दिनांक 09/10/2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम खजूरी खुर्द	138/ग	6.718 हेक्टेयर में से 2.2724 हेक्टेयर	आवासीय, कृषि एवं मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक ) एवं मार्ग
		योग-	2.2724 हेक्टेयर		

- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012-क नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रू. 1,09,07,520/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख सात हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र ) दिनांक 13/06/2015 को भारतीय स्टेट बैंक एच ई टी शाखा के चालन क्रमांक- बी-15 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है ।
- उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 603-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

#### सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 8 जून 2016

क्र. D-1898-दो-2-109-2006.— श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 30 जून 2016 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-1900-दो-2-41-2010.— श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 12 अप्रैल से 26 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पैंतालीस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1902-दो-2-32-2014.— श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 26 से 29 मई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1904-दो-2-11-2014.—श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 3 से 7 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्र. B-2977-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 24 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2382-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 18 से 19 मई 2016 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2386-दो-2-29-2014.—श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 24 से 25 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2388-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 4 से 6 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्र. A-2146-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 25 मई 2016 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2013 से वर्ष 31 अक्टूबर 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. C-2446-दो-2-25-2014.—श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 13 जुलाई से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इकसठ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2448-दो-2-40-2015.—श्री ए. के. त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा जिला दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2116-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2016

क्र. C-2453-दो-2-7-2016.—श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(एक)19-3-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-2459-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2461-दो-2-38-2014.—श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 22 से 25 जून 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2464-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 13 मई 2016 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2468-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 6 से 11 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2470-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडलेश्वर को दिनांक 9 से 13 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2477-दो-2-14-2013.—श्री विनोद कुमार दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 मई 2016 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2479-दो-2-53-2009.—श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 28 अप्रैल 2016 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2481-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 9 से 12 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2486-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 17 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 605-गोपनीय-2016-दो-3-250/57 (भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठाकन फा. क्रमांक 3 (बी) 2-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक ) दिनांक 27 एवं 30 मई, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

## सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कृष्णा अग्रवाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्री विवेक जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री उज्ज्वल उपाध्याय	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्र. 617-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिए जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	इन्दौर	इन्दौर	सिविल जिला, इन्दौर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री पी.एस. पाटीदार के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 620-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिए जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भारत भूषण श्रीवास्तव	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	सिविल जिला, छतरपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.
2	श्रीमती विभावरी जोशी	सतना	विदिशा	विदिशा	सिविल जिला, विदिशा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री रणजीत सिंह ठाकुर के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
3	श्री श्यामकांत कुलकर्णी	सीहोर	झाबुआ	झाबुआ	सिविल जिला, झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री भागचंद मलैया के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 622-गोपनीय-2016-II-2-33/57 (Pt.12).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005, 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002/इक्कीस-ब(एक)-1231, दिनांक 30 मार्च 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

## सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	उज्जैन	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर) के दिनांक 8-7-2016 को रिक्त होने वाले स्थान पर.
2	श्री भागचन्द मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.	झाबुआ	सागर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.



**टिप्पणी:—**1. उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा।

2. श्री भागचन्द मलैया की पदस्थापना, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सागर में होने के फलस्वरूप श्री शिव मंगल सिंह प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह का प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर का अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश, सागर के पद पर श्री मलैया के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्र. D-1979-दो-3-12-13.—श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 4 से 10 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2016

क्र. C-2472-दो-2-41-2007.—श्री संजीव कालगांवकर, एडिशनल डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 22 से 25 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कालगांवकर, एडिशनल डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कालगांवकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

Jabalpur, the 14th June 2016

No. C- 2346-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions the High Court of Madhya Pradesh hereby to designates Shri Prakash Chandra Gupta, Special Judge under SC/ST (POA) Act, Panna to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Head-quarter Panna in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Panna.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्र. B-2960-तीन-6-4-81-भाग-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-4461-तीन-6-4-81-भाग-6, दिनांक 3 अक्टूबर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

### अनुसूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण, अधिनियम, पन्ना.	राजस्व, जिला पन्ना	विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण, अधिनियम, पन्ना. का न्यायालय.

No. B-2960-III-Pt-6-4-81-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. B-3821-III-6-4-81-Pt-VI, dated 26th July 2014, namely:—

### AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted:—

### SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Prakesh Chandra Gupta, Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	Revenue, District Panna.	Court of Special Judge, SC/ST (POA) Act, Panna.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी.ई.)